कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2021 / 4857-58 दिनांकः– 28/05/2021

निमित्त,
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय :–जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भः–उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रिय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/08/18/2020/FC/42 दिनांक 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्तों का पालना प्रतिवेदन यूजर एजेंसी के पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 198.03.2021 (मूल प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में बिंदुवार पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2797–98 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है किन्तु भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या–5 की संशोधित अनुपालना प्रस्तुत करने बाबत् प्राप्त निर्देशों के क्रम में युजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 140–142 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा आंशिक रूप से संशोधित पालना प्रतिवेदन एवं वचनबद्वता पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है, तद्नुसार इस कार्यालय के स्तर से अपेक्षित संशोधित पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :–

शर्त सं.–1 Legal status of the forest land shall remain unchanged.
पालना– वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति वन विभाग का ही है इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

शर्त सं.–2 Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–3 Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forestland(Compartment/ Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
पालना– उक्त शर्त की पालना में मांग अनुसार देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई–चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। 5.63 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर एवं 22 हेक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उच्च कार्यालय से बजट आवंटन प्राप्त होने पर अधिरोपित की गई शर्त के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण का कार्य यथा समय पुर्ण करवा दिया जायेगा।

शर्त सं.–4 The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.
पालना– उक्त शर्त की पालना में वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई गेर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण (प्रति संलग्न) करवा दिया गया है तथा यह भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है, जिसकी चार्ज रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमश....2

शर्त सं.–5 The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

पालना– उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, कॉस्ट ऑफ सर्वे, डिमार्केशन एवं पिल्लर्स हेतु निर्धारित मॉडल के अनुसार एवं वर्तमान में प्रचलित दरों से देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई–चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। विभाग द्वारा करवाए जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत रोपित किए जाने वाले पौधों का निर्धारित मॉडल के अनुसार आगामी 10 वर्षों तक रखरखाव का कार्य नियमानुसार करवाया जाएगा।

शर्त सं.–6 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.4.2008 and 9.5.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.9.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 5.2.2009 in this regard.

पालना– उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि ₹103,00,580 यूजर एजेंसी के द्वारा ई–चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

शर्त सं.–7 Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

पालना– उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों में वृद्धि होने की स्थिति में वन विभाग को देय अंतर राशि जमा करवा दिए जाने बाबत वांछित वचनबद्धता–पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–8 User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

पालना– उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों में से आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग की देखरेख करवाये जाने हेतु वांछित वचनबद्धता पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों के मूल्य हेतु देय राशि ₹10,865 यूजर एजेंसी के द्वारा उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के पक्ष में जमा करवा दी गयी है। तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

शर्त सं.–9 The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

पालना– उक्त शर्त की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया पूर्ण करवा ली गई है, एवं निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर, बांसवाडा के पत्रांक एफ2/राजस्व/2016/ दिनांक 17.03.2021 के द्वारा नियमानुसार ग्राम स्तरीय समिति, उपखंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के द्वारा की गई कार्यवाही एवं बैठक कार्यवाही विवरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ जारी किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमशः 3 पर

शर्त सं.—10 The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.
पालना— उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—11 User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
पालना— उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—12 The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
पालना— उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—13 No labour camp shall be established on the forest land.
पालना— उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—14 Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
पालना— उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—15 The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—16 No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। शर्त का उल्लंघन होना पाये जाने पर यूजर एजेंसी के विरुद्ध इस कार्यालय के द्वारा नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त सं.—17 The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—18 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
पालना— उक्त शर्त की पालना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि को अनुमति प्राप्त उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य और किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाये जाने के बाबत वांछित वचनबद्धता—पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमशः 4 पर

शर्त सं.—19 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—20 Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। इस वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में यूजर एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं अन्य किसी भी वन अधिनियम का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

शर्त सं.—21 Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.—22 All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal.
पालना— उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वन विभाग को देय कुल धनराशि ₹144,42,518 निर्देशानुसार ई—चालान के माध्यम से ही जमा करवायी गयी है।

शर्त सं.—23 The compliance report shall be uploaded on e-portal.
पालना— उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता—पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में वन विभाग को देय संपूर्ण राशि निर्देशानुसार जमा करवाई जा चुकी है एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि के आवंटन, नामांतरण एवं हस्तांतरण की कार्यवाही भी पूर्ण करवाई जा चुकी है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति का निर्देशानुसार दो दैनिक समाचार पत्रों (हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन भी यूजर एजेंसी के द्वारा करवा दिया गया है (समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है)।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कृपया भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.11-306/2014-FC दिनांक 07.05.2015 से जारी निर्देशों के अनुसरण में व्यापक जनहित में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य करने हेतु वांछित कार्यानुमति यथा—शीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ दिनांकः—
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य् अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड—प्रथम, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 140—142 दिनांक 26.05.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\FCA\To Giriraj\Mayank\PHED 16.4546ha\PHED.docx

Office of the Executive Engineer

Public Health Engineering Department, Project Division-1, Banswara-Rajasthan

Email-eeproject1bsw@gmail.com

Address-Housing Board Colony, Under PHED Water Tank (OHSR), Near Pratap Circle, Banswara (Rajasthan)- Pin-327001

EE/Project-I/PHED/BSW/21-22/ 140-142 Date 26.05.2021

To,

Deputy Conservator of forest,
Banswara (Raj.)

Subject: Compliance Report for Diversion of 16.4546 ha. Forest land in favour of Public Health Engineering Department, Division-I, Banswara, for Water Supply Project of 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District Banswara, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/WATER/39353/2019)".

Reference: - Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region), Lucknow Letter No. 8B/RAJ/08/18/2020/FC/142, Dated 07.12.2020 and office of the Deputy Conservator of Forest, Banswara Letter No. P 14( ) FCA / DCF/2020/7530-36 dated 16.12.2020 and telephonic discussion with Dy. Conservator of Forest (FCA), Aranya Bhawan, Jaipur.

Sir,

With reference above mentioned cited subject, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Regional Office (Central Region), Lucknow has granted the stage-I clearance for above mentioned project vide Letter no. 8B/RAJ/08/18/2020/FC/142, Dated 07.12.2020, We are herewith submitting the revised point wise Compliance Report for your reference and necessary action please.

Online Proposal Number: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	We hereby undertake that, Legal status of the forest land will remain unchanged. **Undertaking enclosed.**
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	We hereby undertake that, Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency. **Undertaking enclosed.**
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forest land(Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	We hereby undertake that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forest land (Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species will be avoided. **Undertaking enclosed.**
4.	The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.	The Non forest land (16.4546 ha.) has been mutated in favour of Forest department and transferred to the Forest Department. **Charge list of hand over and take over with mutation certificate is enclosed.**
5.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required has been deposited of an Amount

C.S.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम, बांसवाड़ा (राज.)
2215/डी.डी.ओ. कोड-32152
आई.डी. कोड-32152

Office of the Executive Engineer

Public Health Engineering Department, Project Division-1, Banswara-Rajasthan

Email-eeproject1bsw@gmail.com

Address-Housing Board Colony, Under PHED Water Tank (OHSR), Near Pratap Circle, Banswara (Rajasthan)- Pin-327001

	advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	of Rs. **41,41,938/-** (Forty One Lakhs, Forty One Thousand, Nine Hundred, Thirty Eight Rupees Only) through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated .....**08/02/2021**... (as per Deputy Conservator of Forest, Banswara Demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount. **Payment Slip is and Undertaking enclosed.**
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.4.2008 and 9.5.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.9.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 5.2.2009 in this regard.	Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha forest area to be diverted under this proposal has been deposited Rs. **1,03,00,580/-** through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **8.02.2021.** as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Payment Slip is Enclosed.**
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	We hereby undertake that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department. **Undertaking for Making Payment of NPV as Per revised rates is Enclosed.**
8.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	We hereby undertake that, User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. **Undertaking is enclosed.**
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	We hereby undertake that, complete compliance of the FRA, 2006 has been completed. **FRA Certificate in prescribed format is enclosed.**
10.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	We hereby undertake that; the pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled. **Undertaking is Enclosed.**
11.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	We hereby undertake that, we will obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.

C.S.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम, बांसवाड़ा (राज.)
2215/डी.डी.ओ. कोड-32152
आई.डी. कोड-32152

Office of the Executive Engineer

Public Health Engineering Department, Project Division-1, Banswara-Rajasthan

Email-eeproject1bsw@gmail.com

Address-Housing Board Colony, Under PHED Water Tank (OHSR), Near Pratap Circle, Banswara (Rajasthan)- Pin-327001

		Undertaking is enclosed.
12.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	We hereby undertake that, the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. **Undertaking is enclosed.**
13.	No labour camp shall be established on the forest land.	We hereby Undertake that, No labour camp shall be established on the forest land. **Undertaking is enclosed.**
14.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We hereby undertake that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. **Undertaking is Enclosed.**
15.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. **Undertaking is Enclosed.**
16.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	We hereby undertake that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. **Undertaking is Enclosed.**
17.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby undertake that, the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. **Undertaking is Enclosed.**
18.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	We hereby Undertake that, forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. **Undertaking is Enclosed.**
19.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	We herby undertake the, forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. **Undertaking is Enclosed.**
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.	We hereby Undertake that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018. **Undertaking is Enclosed.**
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	We hereby Undertake that, any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

C.S.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
योजना खण्ड प्रथम, बांसवाड़ा(रा
2215/डी.डी.ओ.कोड-321
आई.डी.कोड-32152

Office of the Executive Engineer

Public Health Engineering Department, Project Division-1, Banswara-Rajasthan

Email-eeproject1bsw@gmail.com

Address-Housing Board Colony, Under PHED Water Tank (OHSR), Near Pratap Circle, Banswara (Rajasthan)- Pin-327001

		Undertaking is Enclosed.
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA found only through e- portal.	We hereby Undertake that, all the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA found only through e- portal. **Undertaking is Enclosed.**
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal	We hereby Undertake that; Compliance report has been uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

Yours Faithfully

(Lokesh Saini)
Executive Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

EE/Project-I/PHED/BSW/21-22/ 740-742

Date 26.05.2021

Copy for information and n/a.

1. ACE, PHED, Project Region-Udaipur
2. SE, PHED, Project Circle-Banswara.

Executive Engineer
PHED, Project Div-1, Banswara

C.S.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम,बांसवाड़ा(राज.)
2215/डी.डी.ओ.कोड-32152
आई.डी.कोड-32152

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BC 523379

16 APR 2021

बाँसवाड़ा राजस्थान

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 25/05/2021**

Project Name: - Water Supply Project of 390 villages, & 395 Dhani, Blocks of Kushalgarh & Sajjangarh district – Banswara, Raj.

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

Undertaking

I/We Lokesh Saini, Executive Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara (Rajasthan) is hear by undertake that

1. I am an Indian Citizen.
2. I am Authorised Signatory of P.H.E.D. Project Division-I, Banswara (Rajasthan)
3. We hereby undertake that, Legal status of the forest land will remain unchanged.
4. We hereby undertake that, Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
5. We hereby undertake that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forest land (Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम,बांसवाड़ा(राज.)
2215/डी.डी.ओ.कोड-32152
आई.डी.कोड-32152

Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species will be avoided.

6. We hereby undertake that, The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.

7. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required has been deposited of an Amount of Rs. 41,41,938/- (Forty One Lakhs, Forty One Thousand, Nine Hundred, Thirty Eight Rupees Only) through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated .....**08/02/2021**... (as per Deputy Conservator of Forest, Banswara Demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount.

8. Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha forest area to be diverted under this proposal has been deposited Rs. 1,03,00,580/- through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated ...**08.02.2021..** as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009,

9. We hereby undertake that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.

10. We hereby undertake that, User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

11. We hereby undertake that, complete compliance of the FRA, 2006 has been completed.

12. We hereby undertake that, The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.

13. We hereby undertake that, we will obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

14. We hereby undertake that, the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

15. We hereby Undertake that, No labour camp shall be established on the forest land.

16. We hereby undertake that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

17. We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.he period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

C.5

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम,बांसवाड़ा(राज.)
2215/डी.डी.ओ.कोड-32152
आई.डी.कोड- 32152

18. We hereby undertake that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

19. We hereby undertake that, the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

20. We hereby Undertake that, forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

21. We herby undertake the, forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

22. We hereby Undertake that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.

23. We hereby Undertake that, any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

24. We hereby Undertake that, all the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal.

25. Compliance report has been uploaded on e-portal **(https://parivesh.nic.in/).**

Yours Faithfully

C.S.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

(Lokesh Saini)
Executive Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम बांसवाड़ा (राज.)
2215/डी.डी.ओ.कोड-32152
आई.डी.कोड- 32152

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/2797-98 दिनांकः– 23/03/2021

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :–जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भः–उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रिय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/08/18/2020/FC/42 दिनांक 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्तों का पालना प्रतिवेदन यूजर एजेंसी के पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 19 .03.2021 (मूल प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, तद्नुसार बिंदुवार पालना प्रतिवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

शर्त सं.–1 Legal status of the forest land shall remain unchanged.
पालना– वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति वन विभाग का ही है इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

शर्त सं.–2 Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–3 Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forestland(Compartment/ Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
पालना– उक्त शर्त की पालना में मांग अनुसार देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई–चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। 5.63 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर एवं 22 हेक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उच्च कार्यालय से बजट आवंटन प्राप्त होने पर अधिरोपित की गई शर्त के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण का कार्य यथा समय पुर्ण करवा दिया जायेगा।

शर्त सं.–4 The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.
पालना– उक्त शर्त की पालना में वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई गेर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण (प्रति संलग्न) करवा दिया गया है तथा यह भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है, जिसकी चार्ज रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमशः 2 पर

शर्त सं.–5 The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

पालना– उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों से देय राशी ₹9,71,738 एवं ₹31,70,200 कुल ₹41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई–चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। विभाग द्वारा करवाए जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत रोपित किए जाने वाले पौधों का निर्धारित मॉडल के अनुसार आगामी 10 वर्षों तक रखरखाव का कार्य नियमानुसार करवाया जाएगा।

शर्त सं.–6 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.4.2008 and 9.5.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.9.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 5.2.2009 in this regard.

पालना– उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि ₹103,00,580 यूजर एजेंसी के द्वारा ई–चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

शर्त सं.–7 Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

पालना– उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों में वृद्धि होने की स्थिति में वन विभाग को देय अंतर राशि जमा करवा दिए जाने बाबत वांछित वचनबद्धता–पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–8 User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

पालना– उक्त शर्त की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों में से आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग की देखरेख करवाये जाने हेतु वांछित वचनबद्धता पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों के मूल्य हेतु देय राशि ₹10,865 यूजर एजेंसी के द्वारा उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के पक्ष में जमा करवा दी गयी है। तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

शर्त सं.–9 The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

पालना– उक्त शर्त की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया पूर्ण करवा ली गई है, एवं निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर, बांसवाडा के पत्रांक एफ2/राजस्व/2016/ दिनांक 17.03.2021 के द्वारा नियमानुसार ग्राम स्तरीय समिति, उपखंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के द्वारा की गई कार्यवाही एवं बैठक कार्यवाही विवरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ जारी किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमशः 3 पर

शर्त सं.–10 The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–11 User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–12 The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–13 No labour camp shall be established on the forest land.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–14 Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
पालना– उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–15 The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–16 No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। शर्त का उल्लंघन होना पाये जाने पर यूजर एजेंसी के विरुद्ध इस कार्यालय के द्वारा नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त सं.–17 The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–18 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
पालना– उक्त शर्त की पालना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि को अनुमति प्राप्त उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य और किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाये जाने के बाबत वांछित वचनबद्धता–पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जो अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

क्रमशः 4 पर

शर्त सं.–19 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–20 Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। इस वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में यूजर एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं अन्य किसी भी वन अधिनियम का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

शर्त सं.–21 Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

शर्त सं.–22 All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal.
पालना– उक्त शर्त की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु वन विभाग को देय कुल धनराशि ₹144,42,518 निर्देशानुसार ई–चालान के माध्यम से ही जमा करवायी गयी है।

शर्त सं.–23 The compliance report shall be uploaded on e-portal.
पालना– उक्त शर्त की पालना से सहमति के स्वरूप यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में वन विभाग को देय संपूर्ण राशि निर्देशानुसार जमा करवाई जा चुकी है एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि के आवंटन, नामांतरण एवं हस्तांतरण की कार्यवाही भी पूर्ण करवाई जा चुकी है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति का निर्देशानुसार दो दैनिक समाचार पत्रों (हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन भी यूजर एजेंसी के द्वारा करवा दिया गया है (समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है)।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कृपया भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.11-306/2014-FC दिनांक 07.05.2015 से जारी निर्देशों के अनुसरण में व्यापक जनहित में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य करने हेतु वांछित कार्यानुमति यथा–शीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ दिनांकः–
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड–प्रथम, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक शून्य दि. 19.03.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\THE MOON\Mayank\PHED\PHED.docx

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 Date: 19/03/2021

To,

Deputy Conservator of forest,

Banswara (Raj.)

Subject: Compliance Report for Diversion of 16.4546 ha. Forest land in favour of Public Health Engineering Department, Division-I, Banswara, for Water Supply Project of 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/WATER/39353/2019)".

Reference: - Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region), Lucknow Letter No. 8B/RAJ/08/18/2020/FC/142, Dated 07.12.2020and office of the Deputy Conservator of Forest, BanswaraLetter No. P 14( ) FCA / DCF/2020/7530-36dated 16.12.2020.

Sir,

With reference above mentioned cited subject, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Regional Office (Central Region), Lucknow has granted the stage-I clearance for above mentioned project vide Letter no. 8B/RAJ/08/18/2020/FC/142, Dated 07.12.2020, We are herewith submitting the point wise Compliance Report for your reference and necessary action please.

Online Proposal Number: -FP/RJ/WATER/39353/2019

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	We hereby undertake that, Legal status of the forest land will remain unchanged. **Undertaking enclosed.**
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	We hereby undertake that, Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency. **Undertaking enclosed.**
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forestland(Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user	We hereby undertake that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forest land (Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species will be avoided. **Undertaking enclosed.**

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

	agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	
4.	The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.	The Non forest land (16.4546 ha.) has been mutated in favour of Forest department and transferred to the Forest department. **Charge list of handover and take over with mutation certificate is enclosed.**
5.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates of amount **41,41,938/-** has been deposited through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated**08/02/2021** (as per Deputy Conservator of Forest, Banswara Demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount. **Payment Slip is and Undertaking enclosed.**
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.4.2008 and 9.5.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.9.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 5.2.2009 in this regard.	Net Present Value (NPV) for the 16.4546ha forest area to be diverted under this proposal has been deposited Rs. **1,03,00,580/-** through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **08/02/2021**as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, **Payment Slip is Enclosed.**
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	We hereby undertake that,Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department. **Undertaking for Making Payment of NPV as Per revised rates is Enclosed.**
8.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	We hereby undertake that, User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. **Undertaking is enclosed.**

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	We hereby undertake that,complete compliance of the FRA, 2006 has been completed. **FRA Certificate in prescribed format is enclosed.**
10.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	We hereby undertake that,The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled. **Undertaking is Enclosed.**
11.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	We hereby undertake that, we will obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. **Undertaking is enclosed.**
12.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	We hereby undertake that, the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. **Undertaking is enclosed.**
13.	No labour camp shall be established on the forest land.	We hereby Undertake that,No labour camp shall be established on the forest land. **Undertaking is enclosed.**
14.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We hereby undertake that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. **Undertaking is Enclosed.**
15.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.he period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.he period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. **Undertaking is Enclosed.**
16.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	We hereby undertake that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. **Undertaking is Enclosed.**
17.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby undertake that, the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. **Undertaking is Enclosed.**
18.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the	We hereby Undertake that, forest land shall not be used for any purpose other than that specified in

C.S.

(श्री किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
PHED, Hatpat Division-1
Banswara (Rajasthan)

	project proposal.	the project proposal. **Undertaking is Enclosed.**
19.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	We herby undertake the, forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. **Undertaking is Enclosed.**
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.	We hereby Undertake that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018. **Undertaking is Enclosed.**
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	We hereby Undertake that, any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. **Undertaking is Enclosed.**
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal.	We hereby Undertake that, all the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal. **Undertaking is Enclosed.**
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal	We hereby Undertake that, Compliance report has been uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)

P.H.E.D. Project Division-I

Banswara

Assistant Engineer

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोष कार्यालय

02 MAR 2021

राजस्थान RAJASTHAN BC 507766

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019
Applied Area: – 16.4546 Ha

Undertaking

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara (Rajasthan) is hear by undertake that

1. I am an Indian Citizen.
2. I am Authorised Signatory of P.H.E.D. Project Division-I, Banswara (Rajasthan)
3. We hereby undertake that, Legal status of the forest land will remain unchanged.
4. We hereby undertake that, Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
5. We hereby undertake that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forest land (Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species will be avoided.
6. We hereby undertake that, The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest-Department.
7. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates of amount **41,41,938/-** has been deposited through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **08/02/2021** (as per Deputy Conservator of Forest, Banswara Demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount.

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Kuldeep Singh Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

7. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates of amount **41,41,938/-** has been deposited through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **08/02/2021**(as per Deputy Conservator of Forest, Banswara Demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount.

8.Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha forest area to be diverted under this proposal has been deposited Rs. **1,03,00,580/-** through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **08/02/2021**as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009,

9. We hereby undertake that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.

10. We hereby undertake that, User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

11. We hereby undertake that,complete compliance of the FRA, 2006 has been completed.

12. We hereby undertake that,The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.

13. We hereby undertake that, we will obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

14. We hereby undertake that, the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

15. We hereby undertake that, No Labour camp shall be established on the forest land.

16. We hereby undertake that, sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

17. We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. He period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

18. We hereby undertake that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

19. We hereby undertake that, the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

20. We hereby Undertake that, forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

21.We herby undertake the, forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

22. We hereby Undertake that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.

23. We hereby Undertake that, any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

24. We hereby Undertake that, all the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal.

25. Compliance report has been uploaded on e-portal **(https://parivesh.nic.in/).**

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer-I
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 Date: 19/03/2021

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 1

I/WeKuldeep Singh Chauhan,Assistant Engineer,P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthanis hear by undertake that Legal status of the forest land will remain unchanged.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 2

I/WeKuldeep Singh Chauhan,Assistant Engineer,P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthanis hear by undertake that Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(डॉ. किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 3

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forest land (Compartment / Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil – Kushalgarh, District – Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compart No. Nil, Village-Amlipada, Range Kushalgarh, District –Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species will be avoided.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 25/05/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 5

I/We Lokesh Saini, Executive Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required has been deposited of an Amount of Rs. 41,41,938/- (Forty One Lakhs, Forty One Thousand, Nine Hundred, Thirty Eight Rupees Only) through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated .....08/02/2021... (as per Deputy Conservator of Forest, Banswara Demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount..

Yours Faithfully

C.S.

(Hari Kishan Saraswat)
Dy. Conservator of Forest,
Banswara

(Lokesh Saini)
Executive Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम,बांसवाड़ा(राज.)
2215/डी.डी.ओ.कोड-32152
आई.डी.कोड- 32152

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 6

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha forest area to be diverted under this proposal has been deposited Rs. **1,03,00,580/-** through E-Challan (https://parivesh.nic.in/) in CAMPA Fund on dated **08/02/2021** as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 7

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara, Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.5.

(डॉ. निधान सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 8

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 9

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that We hereby undertake that, complete compliance of the FRA, 2006 has been completed.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 10

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that the pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Project

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(श्री किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 11

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that we will obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

Ref.: **FP/RJ/WATER/39353/2019** **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 12

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara, Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(...किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 13

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that No labour camp shall be established on the forest land.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 14

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S

(डॉ. किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: **FP/RJ/WATER/39353/2019** **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 15

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake the boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.he period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

Yours Faithfully,

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 16

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(डॉ. विजय सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 17

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(श्री किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 18

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara, Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 19

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara (Rajasthan)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 20

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.1.2018.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(डॉ किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 21

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara, Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 22

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake that all the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA found only through e- portal

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Ref.: FP/RJ/WATER/39353/2019 **Date: 19/03/2021**

Project Name: - Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District – Banswara, Rajasthan..

Proposal No: - FP/RJ/WATER/39353/2019

Applied Area: – 16.4546 Ha

UNDERTAKING OF STAGE - I CONDITION NO. 23

I/We Kuldeep Singh Chauhan, Assistant Engineer, P.H.E.D. Project Division-I, Banswara, Rajasthan is hear by undertake thatCompliance report has been uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

Yours Faithfully

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

C.S.

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Annexure I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector
Banswara
*****

F2
No...[illegible]/21[illegible]/2016/ 318 Dated...17/3/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **16.4546** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Public health engineering department, Banswara (name of user agency) for Laying of drinking water supply pipeline (purpose for diversion of forest land) in Banswara district falls within jurisdiction of total 75 village(s) in tehsils of Banswara (No. of villages-6, No. of Khasras-20 & Total Area 5.3006 ha.) Kushalgarh (No. of villages-42, No. of Khasras-112 & Total Area 7.4223 ha.), Sajjangarh (No. of villages-26, No. of Khasras-145 & Total Area 3.6906 ha.) and Bagidora (No. of villages-1, No. of Khasras-04 & Total Area 0.0411 ha.).

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 16.4546 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to C .

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha's have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

(Ankit Kumar Singh) 17/3/21
District Collector Banswara

—:: बैठक कार्यवाही विवरण ::—

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 10—03—2021 को दोपहर 12.30 बजें जिला कलक्टर सभाकक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए ::—

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।

बैठक में निम्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड़ स्तरीय समिति कुशलगढ, सज्जनगढ, बागीदौरा एवं बांसवाडा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण—पत्र जारी करने की अनुशंषा सहित निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :—

तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रयोजन
बागीदौरा	घाटीगड़ा	756,757,758/1010,759/1013	0.0411	पेयजल परियोजना हेतु विभिन्न ग्रामो मे जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पाईपलाईन / टंकी / वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन
सज्जनगढ़	गराड़ीया, जीराकोट, हैजाभावजी, कालाखुंटा, भामरी, पाड़लामोखा, पाड़लाकटारा, चुनाखान, पाड़लाबरकियाए बालासिंदुर, अन्देश्वर, माचा, ईटाला, ताम्बेसरा, टिम्बामहुड़ि, टिड़ियादेव, कसुम्बा, खुन्दनीहाला, गौड़ा, गणेशपुरा, खरोड़चतरा, पण्डवाललुंजा, पाटड़िया, सोमजरपाड़ा, बियापाड़ा, कारमी	773/347,33/2,78,81,137,98,590/137,605/280,323,132,48/2,875,1134,1176,1186,1188,1226,1227,1250,1309,1310,1311,1312,1434/1173,1437/1264,1433/1265,1852,1853,3033/1858,3038/1880,3053/2006,3055,2005,136/18,149/66,1,152,155,156,157/2,164,184,216/164,217/153,228/183,229/178,236/151,243/100,2,3,4,375/84,376/200,378/204,279/255,380/256,381/257,382/258,383/260,358/258,352/258,5/1,104/88,352/2,58,1,396/19,397/21,398/72,399/2,401/1,401/27,402/68,411/2,133,768/134,769/135,28/21,29/22,1,20,27,488,509,653/22,768/134,769/135,799/489,244/2,275,769/135,260/156,1429/2,1429/1,57/2,59/2,62/2,199/2,315/2316,317/2,170/127,1,5,8,31,35,37,40,254,255,268,284,297,335,335,520/1,122,123,142,143,155/119,156/127,153/140,158/141,170/127,353/201,353/201,276/99,113/2,133/2,18,18,479/113,1/1,34/1,153/1,186/10,187/55,455/1,456/335,502/404,552/404,399.	3.6906	
कुशलगढ़	रसोड़ी, कोयानवापाड़ा, भंवरकोट, बांसड़ी, सुलियामालपुरा, रामगढ़, छापरी, धरतारा, चोरडुंगरी, हाथियादिल्ली, भुरिपाड़ा, तलेटी, कोठारिया, आमलिपाड़ा, गलधर, नाथपुरा, निश्नावट, सुरजकुण्ड,. बिजोरी, सिमसागड़ा, उमरझोंका, रतनमाल, भीमपुरा, बासेरी, खुंटा, बिजलपुर, बालाचुना, खजुरा, वड़ला की रेल, फेराडुंगरी, जोगड़ीमाल, तलाईपाड़ा, कुण्डिया, हालुपाड़ा, अण्डोक, खेड़ली, बस्सी, पिपलोन, उमरझोंका—2, पोटलिया, उगमनापाड़ा, हल्दुपाड़ा	860/594,299/183,298/127,299/183,169/2,217/137,168/2,28,103,229/177,229/177,37/2,374/312,498/185,310/182,309/177,251,100/1,100/1,70/63,87/2,4/2,95/2,4/2,15/2,95/2,117/2,209/4,384/1,386/1,27/1.,176,105/4,557/98,565/97,548/3,549/12,548/3,4,97,89,97,37,1,51,74,135/40,547/2,548/3,112,124,150/123,238/96,259/100,260/112,106/2,201/110,1,2,3,6/2,13,26/2,39/2,61/2,82/2,86,103/2,106/2,112,117/2,154,157/2,285/2,147/2,396/254,154,157/2,195/27,26/2,5/2,58,76,1/2,76/2,614/817,613/415,615/421,124/2,21,12,165,243/161,242/104,711,147,712/2,384/2,344/1,192,4,37,301/12,446/165,204/5,4,112/1,122/1,547/50,548/125	7.4223	
बांसवाड़ा	बरोड़ा, फतेहपुरा, कुण्डलाकला, बोरतालाब, कुण्डला खूर्द, नवाखेड़ा	197/2,199,200,202/1,266/2,202/2,137/2,22,40,41,22,217,219,447,448,400,1100/121,1069/571,1051/293,1067/561.	5.3006	

इसी प्रकार बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के निर्देशानुसार निरस्त दावों का पुनः समीक्षा भी की गई जिसमें अंतिमरूप से निरस्त दावो की के.एम.एल. फाईल बनाई जाने एवं स्वीकृत दावों के वनाधिकार पट्टे शीघ्र जारी करने उप वन संरक्षक बासवाडा तथा निरस्त किये गये दावों की सूचना एफ.आर.ए. पोर्टल पर अपडेट करते हुए दावेदार को सूचित करने एवं निरस्त / स्वीकृत दावों की पत्रावलिया रेकार्ड मेंसंधारण करने हेतु परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को निर्देश दिये गये।

अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड़ स्तरीय समिति कुशलगढ, सज्जनगढ, बागीदौरा एवं बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार रकबा 16.4546 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर प्रमाण—पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

265-Rev-2021 Work (Rajkumar)

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002

E-mail ID : rajban@nic.in (NIC)
bsw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :– एफ 4 (2) राज./2016/ 319 दिनांक :–17 मार्च 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।
3. कार्यालय अधीक्षक/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
4-

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

—:: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बासवाडा जिला बांसवाडा ::—

क्रमांक/राजस्व/2019/437 दिनांक : 16/2/2021

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाड़ा।

विषय :— जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गॉवो एवं 395 ढाणियो मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे।

प्रसंग :— श्रीमान का पत्र क्रमांक/ एफ 4( ) राजस्व/2019/1858 दिनांक 24.12.2020 की पालना मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की पालना मे लेख है कि जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गॉवो एवं 395 ढाणियो मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले गामो मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध मे उपखण्ड स्तरिय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की जाकर (Forest Right settlement) की कार्यवाही पुर्ण कर बैठक कार्यवाही विवरण तथा अनुशंषा के साथ श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
बासवाडा

(Pankaj Chauhan)
[illegible]
[illegible] Division-I
[illegible]

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी बासवाड़ा

क्रमांक / राजस्व / आवंटन / 2018 / 436

दिनांक 18/2/2021

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाड़ा।

::— बैठक कार्यवाही विवरण —

आज दिनांक 15.02.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता मे अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परम्परागत (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करने के सम्बन्ध मे उपखण्ड़ स्तरिय वनाधिकार समिति बांसवाड़ा की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे निमांकित सदस्य उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम सदस्यगण	पद	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर	वि. वि.
1.	पर्वतसिह चुण्ड़ावत	उपखण्ड अधिकारी			
2.	खातुराम	विकास अधिकारी	7568487333		
3.	कपील चौधरी	क्षैत्रीय वन अधिकारी	9929260511		

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बांसवाड़ा का पत्र क्रमांकः— एफ ( )/राजस्व/2019/1858 दिनांक 24.12.2020 की पालना मे उपखण्ड स्तरिय समिति की बैठक का आयोजन किया गया । पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गॉबो एवं 395 ढाणियो मे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर भूमि मे से कुछ भाग ग्राम बरोड़ा,फतेहपुरा,कुण्ड़ला कला, बोरतलाब जो कि वनभूमि के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त उपखण्ड़ के कुल क्षैत्रफल 5.3006 हैक्टेयर भूमि पर कार्य करवाया जाना है। उक्त प्रकरण मे कुशलगढ़/सज्जनगढ़ के प्रस्तावित लाईन एवं अन्य कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत् उपखण्ड़ स्तरिय वनाधिकार समिति मे रखा गया जिसमे समिति को कोई आपत्ति नही है,

क्र.सं.	ग्राम का नाम	रकबा
1	बरोड़ा	3.00 हैक्टेयर
2.	फतेहपुरा	1.6042 हैक्टेयर
3.	कुण्ड़ला कला	0.1859 हैक्टेयर
4.	बोरतलाब	0.0411 हैक्टेयर
5.	कुशलगढ़	0.0622 हैक्टेयर
6.	लवा रेड़ा	0.4072 हैक्टेयर
		5.3006

उपखण्ड़ स्तरिय वनाधिकार समिति बांसवाड़ा के 399 गॉवो एवं 395 ढाणियो मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण हेतु स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

विकास अधिकारी
बांसवाड़ा

क्षैत्रीय वनाधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड़ अधिकारी
बांसवाड़ा

कार्यालय पंचायत समिति बाँसवाड़ा, जिला बाँसवाड़ा (राज.)

E-mail : bdo_bsw1@rediffmail.com

क्रमांक– पंसबा/पंशा/2020/176

दिनांक : 1 –02–2021

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी,
बाँसवाड़ा।

विषयः पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत भिजवाने बावत्।

प्रसंगः श्रीमान् आप कार्यालय पत्र क्रमांक 17–18 दिनांक 08–01–2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर से वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत कुण्डला खुर्द, चाचाकोटा एवं नवाखेड़ा चाहे गये थे।

अतः ग्राम पंचायतों से प्राप्त मूल ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं पत्रावली श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(खातुराम निनामा)
विकास अधिकारी
पं.स. बाँसवाड़ा

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान् अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम, बाँसवाड़ा।
2. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पं.स. बाँसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत कुण्ड़ला खुर्द

पंचायत समिति बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

अशोक डामोर
सरपंच

मु.पो. : कुण्ड़ला कलां (बोरतलाब)
ग्रा.पं. कुण्डला खुर्द, जिला बांसवाड़ा (राज.)
मो.–9929258001, 8619545650

क्रमांक– 346 दिनांक– 27.01.21

अनापत्ती प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे इस ग्राम पंचायत क्षेत्र मे गांव कुण्डलाखुर्द मे 0.0622 हैक्टर गांव फतेहपुरा मे 1.6042 है., गांव कुण्डलाकलां मे 0.1859 है. व गांव बोरतलाब मे 0.0411 है. वन भूमि क्षेत्र आता है।

उक्त क्षेत्र मे वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध मे दिनांक 20.01.2021 को ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमे प्र.सं. 08 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नही है एवं उक्त वन भूमि के संबंध मे कोई दावा लम्बित नही है।

उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक 22.01.2021 को कार्यालय मोहर व हमारे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कुण्डलाखुर्द
पं.स. व जिला बांसवाड़ा

सरपंच
ग्राम पंचायत कुण्डलाखुर्द
पं.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Chauhan)
Assistant Engineer
PHED Division-I
Banswara (Rajasthan)

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्रा. पं. कुशलगढ़ ; पं.स. बांसवाड़ा जिला-बांसवाड़ा (राज.)

ग्रामसभा कार्यवाही विवरण

दि. 20.01.2021

महानरेगा सामाजिक अंकेक्षण (अवधि 1 अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 2020 तक)

श्रीमान जिला अधिकारी, पं.स. बांसवाड़ा के पत्रांक एफ ( )/पं.स. बांस/नरेगा/2020-21/06 दि. 04.01.21 के क्रम में लेख है, कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर म.ग. नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों का ग्रामसभा द्वारा प्रत्येक छः माह (अवधि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक) में एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने का प्रावधान है।

जिसकी अनुपालना में आज दिनांक 20.01.2021 (बुधवार) को कार्यालय अध्यक्ष सरपंच श्री अशोक डामोर का. की अध्यक्षता में रा.ग.सेवा केन्द्र कुशलगढ़-खुर्द पर ग्रामसभा का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त (ग्रा.) राजस्व गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया।

— उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गण —

नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद	विभाग	उपस्थिति हस्ताक्षर
(1) अशोक डामोर	सरपंच	पंचायतराज	[illegible]
(2)			
(3) श्रीमती पुनम शाह	JTA	महानरेगा, PS बांसवाड़ा	Poonam
(4) श्री गनमोहन शर्मा	ग्रा.वि.अ.	ग्रा.वि.एवं पंचायत वि.	[illegible]
(5) श्रीमती कलावती	कनिष्ठ सहा.	ग्रा.वि.एवं पंचायत वि.	[illegible]
(6) ~~नरेश~~ सुनिल चरपोटा	ब्लॉक संयोजक	म.ग.नरेगा, ब्लॉक स्तर	नारायणभाई
(7) नारायण भाई	ग्राम संयोजक	महानरेगा ग्राम संयोजक	नारायण भाई
(8) नानूराम डिंडोर	ग्राम संयोजक	— " —	नानूराम
(9) अंकित राठौड़	— " —	— " —	Ankit
(10) अमृतलाल	— " —	— " —	अमृतलाल
(11) अरविन्द	— " —	— " —	अरविन्द कुमार जी
(12) बिताशा राठौड़	प. सहायक	पंचायत	बिताशा राठौड़
(13) शंकरलाल जी	पं. सहायक	ग्राम	शंकरलाल
(14) नाथूराम जी	पं. सहायक	ग्राम पंचायत	[illegible]

Chauhan)
Engineer
Division-I
Rajasthan

Scanned with CamScanner

ग्रामीण कार्यक्रम दल द्वारा (प्रश्न-3) ग्राम सभा के समक्ष जनकारी लीकर्ड डीटिफाइड, डिस्क्वालिफाई के नाम से मजदूर नाम कम करने के और उस जिला परिधि के बाहर के नाम बढ़ाने पर आये ऐसे प्रवासी मजदूरों के संबन्ध में सर्वसम्मत प्रस्ताव के बिन्दुओं पर चर्चा कीया गया व ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को सूचना दी गई।

ग्राम सभा में विशेष चर्चा कीया व मनरेगा दिशा निर्देश के अनुसार मजदूर स्थानिय है, वे प्रवासी के रूप में नहीं आते है, अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित कीया।

प्रश्न 7- ग्रामीण कार्यक्रम दल द्वारा (प्रश्न-7) ग्राम सभा के समक्ष जानकारी दी गई की वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण कराया नहीं है। पंचायत समिति के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण संबंधित समस्त आदेशों एवं निर्देशों की पालना की जाती है व तय डिजाइन व माह में सामाजिक अंकेक्षण कार्य कीया गया है। जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन कीया।

प्रश्न 06 सरपंच श्री ने ग्राम सभा को अवगत कराया की श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 17-18 दिनांक 02.01.2020 व पंचायत समिति बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक /कार्य/44 दिनांक 11.01.2020 के क्रम में पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 375 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में प्राप्त पत्र को पढ़ कर सुनाया गया।

इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव-कुण्डलासुर्द में 0.0122 है. वन भूमि, गांव कनेहपुरा में 1.6042 है. वन भूमि, गांव कुण्डला कला में 0.1833 है वन भूमि व गांव नोरतखान में 0.0541 है वन भूमि क्षेत्र आया है। उक्त क्षेत्र में वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। एवं उक्त वन भूमि के संबंध में कोई दावा लम्बित नहीं है।

प्रश्न 09 लोक वन अधिकार पंजीयन हेतु- प्रपत्र (जनजाति अधिकार अधिनियम, 2006 के नियम 12(1)ख के अनुसार) इस लोक वन अधिकार पंजीयन के वन अधिकार समिति (वी.एफ.आर.सी.) से वन विभाग के पर्यवेक्षण एवं राजस्थान राज्य वन अधिकार कोष के समग्र पर्यवेक्षण के तहत अनुमोदित किया गया है। इसे संबंधित, विशेषज्ञ राजस्थान राज्य वन अधिकार कोष के सलाहकारों आदि द्वारा एवं इसकी व्याख्या विषय वस्तु विशेषज्ञों, शोध छात्रों और अन्य जानकारों द्वारा किया गया है। यह लोक वन अधिकार पंजीयन तैयारी का अंतिम चरण है। जिसका सर्व ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

सरपंच
ग्राम पंचायत कुण्डलासुर्द
पं.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.)

नारायण
लक्ष्मण
दिनेश
कालीबाई
सेरा
गोपाल
रामचन्द्र
रामलाल
सोमा
सोहन
विनोद
मांगीलाल

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत नवाखेड़ा, पंचायत समिति बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

क्रमांक/ग्रा.पं.न.ना./2020-21/20

दिनांक:- 27/01/2021

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति बांसवाड़ा
जिला बांसवाड़ा (राज.)

विषय:- जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में ग्रा.पं. नवाखेड़ा के ग्राम नवाखेड़ा में सम्बन्धित वन भूमि प्रत्यावर्तन के संदर्भ में।

सन्दर्भ:- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के कार्यालय पत्रांक:- भाग/2020/17-18 दिनांक 08/01/2021 के पालनार्थ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 20/01/2021 को ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त वन भूमि के संबंध में कोई दावा लम्बित नहीं होने से उक्त वृहद पेयजल योजना के निर्माण कार्य से किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रदीप निनामा)
सरपंच
ग्राम पंचायत नवाखेड़ा
प.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नवाखेड़ा
प.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

प्र.प.प.-44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / पंचायत समिति ग्रा. पं. नवाखेड़ा बैंच ..... जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2021

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20/01/2021	नवीन पंचायत भवन नवाखेड़ा	श्री प्रदीप निनामा		आज दिनांक 20/01/2021 को कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा के पत्रांक एम.डी./पंचायत/नरेगा/2020-21/6 दिनांक 04/01/2021 की अनुपालना में ग्राम पंचायत नवाखेड़ा के नवीन पंचायत भवन में सरपंच श्री प्रदीप निनामा की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें जनप्रतिनिधिगण, कर्मचारी/अधिकारी एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए।	
			क्र.सं.	नाम पदनाम विभाग	हस्ताक्षर
			1.	श्री प्रदीप निनामा सरपंच पंचायतीराज	
			2.	श्री लक्ष्मणलाल डिंडोर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	लक्ष्मणलाल
			3.	बालाराम ग्राम संसाधन व्यक्ति	बालाराम
			4.	कुलदीपलाल निनामा ग्राम संसाधन व्यक्ति	कुलदीपलाल
			5.	दलेरा ग्राम संसाधन व्यक्ति	दलेरा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नवाखेड़ा
पं.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

5.	[illegible]	ग्राम संसाधन व्यक्ति	[illegible]
6	कान्ता चरपोटा	ग्राम संसाधन व्यक्ति	कान्ता चरपोटा
7.	कमल कुमार मईड़ा	ग्राम संसाधन व्यक्ति	कमल
8	सुरेशचन्द्र		सुरेशचन्द्र
9	मूरलाल		मूरलाल मीणा
10	प्रभुलाल		प्रभुलाल
11	नारायण		नारायण
12	किशनलाल		किशनलाल
13.	सुरेन्द्र सिंह	उप.वि.अ.	पंचायती राज
14.	जमनालाल मईड़ा	पंचायत सहायक	— " —
15	मानसिंगजी बिनोता	पंचायत सहायक	— " —
16	शंकरलालजी पारगी	वार्ड पंच	— " —
17	बहादुर मीणा	पंचायत सहायक	— " —
18	सुखलाल मीणा	पंचायत सहायक	

सर्वप्रथम ग्रामसभा में पिछली बैठक कार्यवाही का विवरण पढ़ कर सुनाया गया जिसका सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 1 :- ग्राम सभा के आयोजन में कि पंचायत समिति कुशलगढ़ के उक्त गांवों एवं उक्त कार्यों में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में आने वाले / प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र में उक्त पेयजल योजना

कान्ता
कमल
सुरेश
मूरलाल
प्रभुलाल
नारायण
किशनलाल
सुरेन्द्र
जमनालाल
मानसिंग
शंकरलाल
बहादुर
सुखलाल
[illegible]
[illegible]
सुनिल
राधेश्याम
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नवाखेड़ा
प.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

ग्राम / उप समिति ..... बैच ..... जिला ..... (राज.) वर्ष .....

29

क्रमांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सभापति का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				लाईन ग्राम पंचायत नवाखेड़ा के ग्राम नवाखेड़ा के वन क्षेत्र 0.0072 हेक्टेयर से गुजर रही है। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 व 2008 तथा संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत नवाखेड़ा ग्राम नवाखेड़ा की उक्त सम्बन्धित ग्राम में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।	[illegible] काली पवन बालिरूपपारा कन्हैयालाल कालूराम भूरी बाई प्रेमलता डामोर किशनलाल मोती पार

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नवाखेड़ा
पं.स. बांसवाड़ा जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत चाचाकोटा

पंचायत समिति बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक: 126 दिनांक: 29/1/2020

अनापत्ती प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव बरोड़ा में 0.9023 हैक्टर वन भूमि क्षेत्र आता है उक्त क्षेत्र में वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन-भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 20/1/2021 को ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें प्र.सं. 1 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है एवं उक्त वन भूमि के संबंध में कोई दावा लम्बित नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक 27/1/2021 को कार्यालय मोहर व हमारे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Public Division-I
Banswara Rajasthan

सरपंच
ग्राम पंचायत चाचाकोटा
पं.स. बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चाचाकोटा
पं.स. बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

ग्रामसभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 20/11/2021 को भारत निर्माण गांव पंचायत सेवा केन्द्र में ग्राम सभा का आयोजन किया गया कार्यालय पंचायत समिति बांसवाड़ा, पंचायत समिति बांसवाड़ (राज.) ब्लॉक - पंचायत पंचायत 2020/44 के क्रम में पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु हर घर जल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 17-18 दिनांक 08/11/2021 के क्रम में ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा की अध्यक्षता सरपंच श्रीमान दीपचन्द जी मुड़ा द्वारा की गई। ग्रामसभा में ग्रा.पं. के समस्त ग्रामीण और ग्राम बरोड़ा व धुरीपाड़ा के ग्रामीण उपस्थित हुए। इन सब जनसमूह व ग्रामसभा की अनुमति से अध्यक्ष महोदय ने निम्न प्रकार अवगत कराया गया -

प्रस्ताव नं. 1. सरपंच साहब ने ग्रामसभा को अवगत कराया की माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 17-18 दिनांक 8/11/2021 व पं.स. बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 2021/44 दिनांक 11/11/2021 के क्रम में पं.स. कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु हर घर पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र को पढ़ कर सुनाया गया।

इस प्रकार इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव बरोड़ा में कम्पार्ट नं. 3, गांव धुरीपाड़ा कम्पार्ट नं. 0.9023 वन भूमि क्षेत्र आता है उक्त क्षेत्र में हर घर पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत के एवं ग्राम बरोड़ा को कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त वन भूमि के संबंध में कोई दावा लम्बित नहीं है। इसमें समस्त ग्रामीणों एवं ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया

सरपंच
ग्राम पंचायत बांसवाड़ा
पं.स. बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बांसवाड़ा
पं.स. बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Ch[illegible]an)
Assistant Engi[illegible]r
P.H.E.D. Project Di[illegible]-I
B[illegible]nswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

गोला बमिचरे पाणची हरिया कालु पिन्ड
लाला शम्भु कालु नारायण राजेन्द्र कालुराम
मांगु लाला ईमृतलाल राजु प्रभु जकारी
कुन्दनलाल शम्भु रमेश कालुराम लालु भावनी गोतम
लेखराज नानका काटि मुकेश रूपा रूकमा दिनेश अभिराम
धमजी रामचन्द्र कुदाजी वे तोलीराम शंकर
रामलाल हजारी लक्ष्मण कुकोरे भूरा
लखिया रमेश
गंगीराम उदा देवचन्द नारण
रामी हुलजी हरीराम
साबिन
पन्नम
हुलसी सुरजमल प्रभीरावट
रमेश रूपचन्द
रामलाल चरि गोपाल
बरसेगा केवजी

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

फोन न0- 02965-275241

ई-मेल- sdmkushalgarh@gmail.com
SDO.KUSHALGARH@rajasthan.gov.in

क्रमांक : वनाधिकार/2020/ 62

दिनांक : 12.02.2021

श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय
बाँसवाड़ा।

विषयः—पं.स. कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यार्वतन प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक कार्यवाही भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः—श्रीमान् का पत्र क्रमांक एफ—4 () राजस्व/2019/1858 दिनांक 24.12. 2020 के सन्दर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में निवेदन है कि जिला बाँसवाड़ा के अन्तर्गत पं.स. कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों में पेयजल लाईन के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ़ में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन दिनांक 12.02.2021 को किया गया, जिसकी बैठक कार्यवाही श्रीमान् जी की सेवा में इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा
(राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :-.80

दिनांक :-21-01-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पंचायत समिति कुशलगढ के अन्तर्गत आने वाली वनभूमि के गांव एवं ढाणियो के ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा निर्माण के सम्बन्ध मे पंचायत समिति कुशलगढ को कोई आपत्ति नही है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ़
जिला बांसवाडा (राज.)

(Kuso...)
Assis...
P.H... Division-I
...sthan

उपखण्ड स्तरीय बैठक

आज दिनांक 12.02.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कुशलगढ़ की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए।

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
1.	बद्रीलाल सुथार	SDM.		9413831337
2.	बालकिशन	Adl BDO		9001747990
3.	सुरेन्द्र शर्मा	R.F.O.		9649913435
4.	कुलदीप सिंह चौहान	R.F.O.		8980547011
5.				
6.				
7.				

श्रीमान जिला कलक्टर बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 4( ) राजस्व/2019/1858 दिनांक 24-12-2020 की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवो एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर में से कुछ भाग निम्नानुसार है। जिसकी सूची अगले पृष्ठ पर दर्ज है। जो कि वनभूमि के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त वनखण्ड के कुल क्षेत्रफल 7.3171 हैक्टेयर भूमि पर कार्य करवाया जाना है। उक्त प्रकरण में कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के प्रस्तावित लाईन एवं अन्य कार्य हेतु अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधि. 2006 एवं 2008 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वना. समिति में रखा गया जिसमें समिति को कोई आपत्ति नहीं है। उपखण्ड स्तरीय वना. समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवो एवं 395

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

क्र.सं०	गाँव	रकबा
1.	रसोड़ी	0.0557
2.	भवरकोट	0.1173
3.	बोसड़ी	0.1374
4.	सुलियामालपुरा	0.0625
5.	रामगढ़	0.0398
6.	घापरी	0.0591
7.	घरतारा	0.0492
8.	चोर डुंगरी	0.2849
9.	हाथीदिल्ली	0.0722
10.	भुरीपाड़ा	0.1571
11.	वलेटी	0.0933
12.	कोणरिया	0.0993
13	आमलीपाड़ा	0.3033
14.	गलधर	0.1091
15.	नाथपुरा	0.0295
16.	निरणावर	0.1217
17.	सुरजबुड़	0.1355
18.	बिजोरी	0.474
19.	सिंगसागड़ा	0.1075
20.	उमरझोका	0.5779
21.	रतनमाल	0.4542
22.	भीमपुरा	0.5027
23.	बसेरी	0.2917
24.	खुरा	0.2928
25	बिजलपुर	0.4527
26	बालायुणा	0.047
27	खजुरा	0.7222
28	बड़ला की रेल	0.1147
29	फैरा डुंगरी	0.1143
30	जोगड़ीमाल	0.0678
31	तलाई पाड़ा	0.2049
32	बुण्डिया	0.1994

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

क्र.स.	गाँव	रकबा	
33.	हल्दुपाड़ा	0.1087	
34	अम्बोक	0.1064	
35	खेड़ली	0.0169	
36	बरसी	0.0695	
37	पिपलोन	0.0635	
38	उमरझोला	0.0287	
39	पोटलिया	0.167	
40	उगमनापाड़ा	0.1875	
41	हल्दुपाड़ा	0.0182	
42	खोया नवापाड़ा	0.1052	

ढाणीयो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेय जल परियोजना निर्माण हेतु स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत हैं एवं अनुशंषा करती हैं।

R.F.O. 12/2
Kyalgarh.
RFO JUNDA 12/2/21

12/2/21
Add DDO

12/2/21
SDO

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
PH Division-I
Rajasthan

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहकमपुरा पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 38-1 दिनांक :- 18/1/21

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 5/1/20. को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1.....के अनुसार निम्न ग्राम ...मोहकमपुरा..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(यशोला)
सरपंच
ग्राम पंचायत मोहकमपुरा
पं.स.कुशलगढ़ जि.बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मोहकमपुरा
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Office of Executive Engineer,PHED,Banswara					
List of Villages coming under water supply project for 399 villages and 395 Dhanis of Blocks					
Kushalgarh & Sajjangarh ,District-Bnaswara,Rajasthan					
S.No	Village	Gram Panchayat	SDM	Forest Land (Ha.)	Non-Forest Land (Ha.)
1	Kundla-khurd	Banswara	Banswara	0.0622	1.8425
2	Navakhera	Banswara	Banswara	0.4072	2.4983
3	Ghatigara	Bagidora	Bagidora	0.0411	1.789
4	Gardiya	Bagidora	Bagidora	0.0729	1.5023
5	Jeerakot	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0625	1.8652
6	Haja bhavji	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1131	1.8853
7	Kala-khoonta	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0215	1.525
8	Bhamri	Banswara	Banswara	0.1779	1.7425
9	Padla-Mokha	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0854	4.4983
10	Padla-Katara	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1874	1.689
11	Ghuna-Khan	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0813	5.3023
12	Padla-Barkiya	Kushalgarh	Kushalgarh	0.026	1.6652
13	Balasindoor	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0672	1.3853
14	Andeshwar	Sajjangarh	Sajjangarh	0.9672	1.725
15	Macha	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0724	1.9425
16	Itala	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1449	2.7983
17	Tambesara	Sajjangarh	Sajjangarh	0.3712	0.689
18	Tima-Mahuri	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1424	1.7023
19	Tidiyadev	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0488	1.1652
20	Kasumba	Bagidora	Bagidora	0.0565	0.9853
21	Khundani hala	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1504	1.525
22	Goda	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0889	1.7425
23	Ganeshpura	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1303	0.7983
24	Khrod-Chatra	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0558	1.589
25	Pandwal Lunja	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0215	0.5023
26	Patiya	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0166	0.6952
27	Somji Para	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0686	1.1853
28	Biya para	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0421	1.025
29	Karmi	Sajjangarh	Sajjangarh	0.4178	1.7425
30	Rasodi	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0557	1.9983
31	Koya Nawapada	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1052	1.389
32	Bawarkot	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1173	1.6023
33	Basdi	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1374	2.5652
34	Sulliya Malpura	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0625	1.7853
35	Ramgadh	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0398	1.925
36	Chapri	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0591	1.5425
37	Gartara	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0492	1.8983
38	Chor Dugor	Kushalgarh	Kushalgarh	0.2849	2.289
39	Hathiyadeli	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0722	2.9023
40	Bhuripada	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1571	1.955
41	Taleti	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0933	1.9652
42	Kotariya	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0993	2.9543

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :- 38 दिनांक :- 12-01-21

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत समस्त

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में आपके स्तर से वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

अतः उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण सलग्न सूची के अनुसार आपके क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामो में (Forest Right Settlement)की कार्यवाही पूर्ण करवाकर बैठक कार्यवाही विवरण तथा आपकी स्पष्ट अनुशंषा के साथ कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें। ताकि वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बांसवाडा को प्रेषित किया जा सकें।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ़
जिला बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

आज दिनांक 05/12/20 को अटल सेवा केन्द्र मोहकमपुरा में वन विभाग की भूमि पर पाईप लाईन बिछाने के सम्बन्ध में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया।

जिसकी अध्यक्षता सरपंच साहिबा श्रीमती सुशीला सिंगाड़ के द्वारा की गई। व निम्न ~~प्रस्ताव~~ प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिये गये।

प्रस्ताव संख्या 1 ग्राम पंचायत मोहकमपुरा के राजस्व ग्राम कुशलगढ़ में पेयजल पाईप लाईन बिछाने का कार्य वन भूमि में करने पर ग्राम पंचायत मोहकमपुरा को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजनों द्वारा अनुमोदन करके सर्व सम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया।

सरपंच साहिबा श्रीमती सुशीला सिंगाड़ द्वारा सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद दिया गया।

सुशीला
(सुशीला)
सरपंच
ग्राम पंचायत मोहकमपुरा
पं.स. कुशलगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)

Kuldeep Singh Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत...रामगढ.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-. 2020-21/4P/23 दिनांक :- 15.01.2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 02....के अनुसार निम्न ग्राम रामगढ, बापरी में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(राकेश मईडा)
सरपंच
ग्राम पंचायत रामगढ़
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स.कुशलगढ़, जि.बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम सभा

दिनांक
23.12.2020

कार्यालय ग्राम पंचायत रामगढ़ में आज दिनांक को श्री राकेश गईडा सरपंच साहब की अध्यक्षता में ग्राम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जन प्रतिनिधि वार्डपंच एवं ग्रामीण उपस्थित हुवे। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए। सभी ने मास्क धारण कर व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। ग्राम सभा का आयोजन हुआ।

जिसमें निम्न प्रस्ताव रखे गये।

प्रस्ताव सं. 1

ठोस अपशिष्ट नियम 2016 उप विधि जिला परिषद बाँसवाड़ा द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश के एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुविधा युक्त ग्राम पंचायत हेतु निम्नानुसार विस्तृत परियोजना का प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

क्र.सं.	घटक/गतिविधि	अनुमानित राशि
(1)	ठोस कचरा प्रबंधन	
(2)	तरल कचरा प्रबंधन	
	कुल परियोजना राशि =	

अतः उपरोक्त सूचनानुसार ग्राम रामगढ़ को समग्र रूप से स्वच्छ कर ठोस एवं तरल कचरा संशाधन युक्त ग्राम पंचायत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुल राशि की सम्पूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं क्रियान्वयन हेतु ठोस अपशिष्ट नियम 2016 उप विधियों को विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं. 02 :-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक न्याय/2020/डाइ दिनांक 8.01.2020 के पालनार्थ के जिला बाँसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 199 गाँवों एवं 395 ढाणियों के पेयजल की आपूर्ति हेतु कुल पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत रामगढ़ के ग्राम रामगढ़ में वन भूमि जिसका क्षेत्र 0.0298 हैक्टेयर व ग्राम खापटी में वन भूमि जिसका क्षेत्र 0.0581 हैक्टेयर के पेयजल योजना का निर्माण कार्य करने पर कोई आपत्ति है। उक्त वन भूमि में कोई लम्बित दावा नहीं है।

Ideen Sing's Chauhan
Engineer
Project Division-I
Banswara (Rajasthan)

क्र.सं. नाम कर्मचारी पद हस्ताक्षर

1. श्री राकेश जी गईड़ा सरपंच

2. श्री बहादुर सिंह LDC

3. विजयसिंह जूनियर वार्ड पंच

4. कूका/रामलु / सीता

5. बहादुर / लक्ष्मीचंद

6. पानसिंह / तेजसिंह आंगनवाड़ी सहायक

7. बाबरा बाबिना सुरक्षागार्ड

8. रमेश कुमार चौकीदार

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
प.स. कुंभलगढ़, जि. राजसमंद (राज.)

(राकेश गईड़ा)
सरपंच
ग्राम पंचायत कुंभलगढ़
प.स. कुंभलगढ़ जिला राजसमंद

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Beawar Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-. 11/2021 दिनांक :- 23.12.2020

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 23.12.20. को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 02....के अनुसार निम्न ग्राम ....में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत
पं.स.कुशलगढ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(8)

स्थान :- पा.गा.पे.इ.प्रोजेक्ट दिनांक :- 23.12.2021

प्र.सं. (2) ग्रामसभा में ग्राम पंचायत पाटन अन्तर्गत गाँव उमरजोरड़ा की वन भूमि पर बृहत् पेयजल परियोजना अन्तर्गत अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो ग्रा.पं. पाटन को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत पाटना/सरोना पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 12/2021

दिनांक :- 23.12.2020

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51/52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव स. 02 के अनुसार निम्न ग्राम [illegible] में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत (सरोना, बिन्डोर)
सरपंच
ग्राम पंचायत सरोना
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम पंचायत अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

स्थान :- ग्राम पंचायत सरोना

दिनांक :- 23.12.2

प्र.सं. - (12) ग्रामसभा में ग्राम पंचायत सरोना अन्तर्गत ग्राम उमरनाथ की वन भूमि पर वृहत पेयजल परियोजना अन्तर्गत अमर टोंक निर्माण कार्य किया जाना है तो ग्राम पंचायत सरोना को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत छोटी सरवन ....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 07/2021 दिनांक :- 13.01.2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 13.01.21 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार निम्न ग्राम छोटी सरवन में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(विनोद चौहान)
ग्राम पंचायत .....
ग्राम पंचायत छोटी सरवन
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम सेवक / सचिव
ग्राम पंचायत .....
ग्राम विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

(Pradeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

स्थान :- रा.ग.से. केन्द्र छोटीसरवा

दिनांक :- 12.1

प्र.सं. (2) ग्रामसभा में ग्राम पंचायत छोटीसरवा अन्तर्गत ग्राम हाजरागढ़ में वृहद पेयजल परियोजना निर्माण कार्य हेतु वन भूमि में निर्माण कार्य करवाया जाता है तो ग्राम पंचायत छोटीसरवा को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

ग्राम पंचायत
ग्राम
पंचायत

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत..निश्नावट....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-.2020-21/ग्रा.पं./SP-1 दिनांक :- 15/01/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 05-01-2021 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. ..4....के अनुसार निम्न ग्राम ..निश्नावट..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(सरदार सिंह देवदा)
सरपंच
ग्राम पंचायत निश्नावट
पं.स.कुशलगढ़ जि.बांसवाड़ा(राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...निश्नावट
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

रा. प. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / ~~उप-समिति~~ निम्बाघाट ..... पंचायत समिति/ब्लॉक कुशलगढ़ ..... जिला बांसवाड़ा ..... (राज.) वर्ष 2013

07

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उप सदस्यों के ह
1	2	3	4	5	6
5-1-2013	पंचायत कार्यालय	श्री भावसिंह देवड़ा	1. कविता / भरत (उपसरपंच) 2. सरला / कमलेश 3. केसर सिंह 4. बंसीलाल देवड़ा 5.	पंचायत बैठक सरपंच श्री भावसिंह देवड़ा की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में समय 12 बजे तक सदस्य (वार्ड पंच) का उपस्थिति कोरम गणना की गई जिसमें कोरम नवमांश पूर्ण पाये जाने उपरान्त बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रस्ताव-1 बैठक में गत बैठक का कार्यवाही विवरण पढ़कर सुनाया गया जिसका सर्वसहमति पूर्वक अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव-2 बैठक में सरपंच साहब ने उपस्थित सदस्यों एवं ग्राम के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बताया कि ग्रा.पं. भवन हेतु आवंटित भूमी पर ग्रा.पं. भवन के लिये डाली गई लाईन पर नींव खुदाई करी हुई है जिस पर कल दिनांक को श्रमिक लगा कर काम चालू कराया तो ग्राम का व्यक्ति रमेशु पिता लखमीदेवड़ा झगड़ा कर श्रमिकों को काम नहीं करने दिया व श्रमिकों को भगा दिया- मैं स्वयं मौके पर आकर समझाईश की बाद ग्राम विकास अधिकारी ने भी रमेशु पिता लखमी देवड़ा को समझाया एवं कहा कि यह राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवंटित भूमी पर सरकारी कार्य हो रहा जिस पर आप आपत्ती न करें एवं कार्य करने देवें किन्तु प्राप्ती नहीं माना एवं रात्री में झोपड़ी बनाली। जिसका पता आज सुबह चला है। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं ग्राम के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में इस पर व्यापक विचार विमर्श व चर्चा कर निर्णय किया गया कि इस ओर में प्रशासन को इस प्रस्ताव के माध्यम से अवगत करवाया जावे एवं श्रीमान S.D.M. साहब को ज्ञापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु निवेदन किया जावे एवं साथ ही विकास अधिकारी महोदय को अवगत करवाया जावे। साथ ही इस प्रकरण से सम्बंधित बैठक समाप्ती के बाद व अगली बैठक से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लेने एवं क्रियान्वयन करने हेतु सरपंच ग्रा.पं. को सम्पूर्ण अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव सर्वसहमति पूर्वक पारित करती है। प्रस्ताव-3 पंचायत बैठक में पंद्रहवे वित्त आयोग (F.F.C) मद में आवश्यक कार्य किये जाने हेतु उपसरपंच कविता भरत ने कार्य स्वीकृति हेतु CC सड़क भावसिंह के घर से सोहन / कड़वा के घर की तरफ रास्ते पर।	

के. एस. आर. नियम-3

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara (Rajasthan)

रा. प. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

(राज.) वर्ष 2020-21

पंचायत / ~~ग्राम~~ समिति निकनावर बैठक क्रमांक कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				प्रस्ताव संख्या-4 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में चर्चा ग्राम पंचायत की बैठक में जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति-कुशलगढ़ के 333 गावो एवं उक्त दासियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली कुल 2.0 एकड़ है. वन भूमि में ग्राम निकनावर के की. 0.1217 है. भूमि प्रभावित हो रही है. जिस सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों के समक्ष विचार-विमर्श उपरान्त जनहित कार्य होने से उपरोक्त भूमी ग्राम निकनावर की 0.1217 है. भूमि ~~का~~ में निर्माण कार्य किये जाने हेतु ग्राम पंचायत निकनावर को कोई आपत्ति नही है अतः अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	

(भावसिंह डबदा)
सरपंच
ग्राम पंचायत निकनावर
पं.स. कुशलगढ़ (बांसवाड़ा राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत निकनावर
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- SP. 1 दिनांक :- 16. 1. 2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1.....के अनुसार निम्न ग्राम नापाडा, खुरपाडा में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(कैलाश पटेल)
सरपंच
ग्राम पंचायत मुन्दड़ी
प.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा.....

(प्रेमलता पटेल)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मुन्दड़ी
प.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा.....

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(35)

नि. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

राजश्री जोधपुर

पंचायत/उप समिति कुशलगढ़ बैंच जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 20.....

होने दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20/10	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	श्री कैलाश चन्द्र पटेल	लीला शम्भु सबीना शंकर अरविन्द दिलीप लोभचन्द	आज दिनांक 20-10-2020 को श्रीमान सरपंच महोदय श्री श्री कैलाश चन्द्र पटेल की अध्यक्षता में पब्लिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कार्यवाही में सभी वार्डपंच एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। प्रस्ताव सं.1 पंचायत समिति कुशलगढ़ के 333 गाँवों एवं 333 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली ~~20-10-2020 (1-6385~~ नाथपुरा) ~~(38023 सुरजकुण्ड) हेक्टर~~ वन भूमि के प्रत्यावर्तन क्रम में वन भूमि में ग्राम नाथपुरा एवं सुरजकुण्ड में वन भूमि में पाइप लाईन का कार्य करने पर सर्वसमिति से कार्य करने से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। यह निर्णय ग्राम सभा द्वारा सर्वसमिति से लिया गया।	लीला शम्भु सबीना [illegible] जय [illegible] [illegible] अरविन्द [illegible]

(कैलाश पटेल)
सरपंच
ग्राम पंचायत गुन्डी
प.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :-.80 दिनांक :-21-01-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पंचायत समिति कुशलगढ के अन्तर्गत आने वाली वनभूमि के गांव एवं ढाणियो के ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा निर्माण के सम्बन्ध मे पंचायत समिति कुशलगढ को कोई आपत्ति नही है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ़
जिला बांसवाडा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत कुशलापाड़ पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 2020-21/28 दिनांक :- 13/1/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 28/12/20 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 02 के अनुसार निम्न ग्राम (1) ललेटी (2) कोठाडिया में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

बादरसिंह
(बादरसिंह)
सरपंच
ग्राम पंचायत कुशलापाड़
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(महेन्द्र सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत (कुशलापाड़)
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम सभा दि. 28/12/20

आज दिनांक 28/12/2020 वार सोमवार को कार्यालय पी०एच० कुशलगढ़ के आदेश क्रमांक दिनांक की पालना में ग्राम पंचायत कुशलापाड़ा के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर सरपंच श्री बादरसिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजन किया गया। ग्राम सभा एजेण्डा अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना एवं जी०पी०डी०पी० वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने बाबत ग्राम सभा आयोजित करने की जानकारी उपस्थित फोरम को दी गई।

ग्राम सभा में निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने भाग लिया :-

क्र०सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी/प्रतिनिधि	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री बादरसिंह	सरपंच	बादरसिंह
2.	" महेन्द्रसिंह	ग्रा०वि०अ०वि०	28/12/2020
3.	" पीर मोहम्मद	वार्ड पंच	[illegible]
4.	" भूरसिंह	"	भूरसीग
5.	" प्रताप	"	प्रताप
6.	श्रीमति सुरेशा	"	सुरेशा
			सुर
7.	सपी	"	सपी

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

प्रस्ताव - 1 ठोस एवं कचरा प्रबन्धन एवं तरल कचरा प्रबन्धन ग्राम पंचायत में नाली निर्माण का कार्य सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया।

प्रस्ताव. 2 :- पं.स. कुशलगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में ग्राम सभा में ग्राम पंचायत व ढाणियों में वन भूमि में जो कार्य पाईप लाईन का कार्य चल रहा है जो ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया की उसमें ग्राम सभा में कोई आपत्ति नहीं है
इनका कुल के तनेटी 0.933/1.9652 /ओवरहिड - 0.1993/2.9853 है।

आदर सिंह
(आदर सिंह)
सरपंच
ग्राम पंचायत कुशलपाड़ा
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

हस्ताक्षर अभियान

PAGE NO.
DATE :

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत कोटड़ा.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 6 दिनांक :- 13-1-21

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 13-1-21 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1.....के अनुसार निम्न ग्राम खुटा, धोमाडीमाल, फेराईपाडा, लालाईपाडा, कोटडा में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच आशा
ग्राम पंचायत (आशा)....
सरपंच
ग्राम पंचायत कोटड़ा राण गा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(अलका राणावत)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोटड़ा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
ग्राम पंचायत .....

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Page :
Date :

आज दिनांक 13-1-2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र कोटड़ा में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का आयोजन सरपंच आशा डामोर की अध्यक्षता में किया गया। आज की ग्राम सभा दिसम्बर 2020 के अंकेक्षण कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए कि गई।

प्रस्ताव संख्या 1 :- जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति के 377 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होनेवाली 16.4546 हेक्टयर वन भूमि के अन्तर्गत ग्राम खूटा, फिराड़ियां, तलाईपाड़ा जोगड़ीमाल के बीच आने से इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रा.प. कोटड़ा द्वारा अपनी सहमति से कार्य होने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अगर वन भूमि से पाईप लाईन की खुदाई होती है तो ग्रा.प. कोटड़ा को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(कुलदीप सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोटड़ा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

आशा
(आशा)
सरपंच
ग्राम पंचायत कोटड़ा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Page :
Date

नाम	वार्ड	हस्ताक्षर
(1) जीवणा माई		
(2) रतरी / मानसिंग	2	
(3) मडी / मानसिंग	3	मडी
(4) बाबु / मानसिंग	4	बाबु
(5) सुगना / छगिया	5	
(6) सुखा माई	6	सुखा
(7) काली / लेला	7	काली
(8) अनिता	8	
(9) दिनेश	9	दिनेश चन्द्र मडी

(कल्याणी चौधरी)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोटड़ा राणा
प.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(आर.ए.च)
ग्राम पंचायत कोटड़ा राणा
प.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत खजूरा .....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- G.P.K./2020-21/09 दिनांक :- 18/1/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 15.1.2021 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 05 के अनुसार निम्न ग्राम (1) खजूरा (2) उमर जोखा (3) बालापुरा (4) बडलाकी रेल में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(सरपंच कुमारी देवदा)
सरपंच
ग्राम पंचायत खजूरा
पं.स.कुशलगढ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खजूरा
पं.स.कुशलगढ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम सभा

(68)

ग्राम पंचायत खजूरा [कोटड़]

आज दिनांक 15-9-2021 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खजूरा में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने सम्बन्धी ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक जी-11011/17/2019-MGNREGA-V (368314 दिनांक 24-9-2020 एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 15(17) पराशि/विधि/विशेष ग्राम सभा जयपुर/2020/9159 दिनांक 06-10-2020 के पत्र के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा योजना की ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच कमलिया सुश्री ~~शीला~~ शीला कुमारी देवड़ा की अध्यक्षता ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

जिसमें निम्न अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों भाग लिया गया

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	श्री देवेन्द्र शाह	ग्रा.वि.अधिकारी	पं०रा०वि०आ०	[illegible]
2	सुश्री शीला देवड़ा	सरपंच	—"—	[illegible]
3	श्री रमेश गवाड़	रोजगार	—"—	[illegible]
4	श्री अनिल / जलिया		—"—	[illegible]
5	श्री तोलसिंह / काला	वार्ड पंच	—"—	[illegible]
(6.)	श्री लखु / राजेन्द्र	—"—	—"—	[illegible]
(7.)	—"— राजुड़ी / प्रकाश	—"—	—"—	[illegible]
(8)	श्री डोला / बालसिंग	—"—	—"—	[illegible]
(9)	श्री किरसिंग / बालचन्द	—"—	—"—	[illegible]
10	मोहनलाल देवड़ा	पंचायत सहायक	—"—	[illegible]
11	हीरालाल पारगी	पंचायत सहायक	—"—	[illegible]
12	मोहनलाल कतिरा	पंचायत सहायक		[illegible]
13	श्रीमती मणी / लादू	वार्ड पंच		[illegible]

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

प्रस्ताव सं० 5 :-

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 ग्रामों एवं 395 ढाणियों में पेयजल (पीने का पानी) हेतु योजना का कार्य चल रहा है यह कार्य सरकार द्वारा बड़ी योजना के रूप में चल रही है। पेयजल के लिये परियोजना के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य की लाईन एवं कई निर्माण कार्य वन-भूमि में भी आ रहे हैं जिसमें लाईन व कार्य निर्माण करना आवश्यक है, इस कार्य के लिए यदि वन-क्षेत्र की वन-भूमि में निर्माण कार्य परियोजना अन्तर्गत होता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति होने व नहीं होने का प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा गया।

तत् पश्चात, सभी द्वारा इस परियोजना की उपयोगिता व आवश्यकता देखते हुए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया गया।

सभी द्वारा इस योजना के कार्य वन-भूमि में होने पर अनुमोदन किया गया है तथा इस भूमि में वन-भूमि के दावे लम्बित नहीं होने की जानकारी देकर अनुमोदन किया गया। तत् इस परियोजना के लिए वन-भूमि में किसी प्रकार आपत्ति नहीं होना बताकर अनुमोदन किया गया एवं आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय पारित किया गया जिसमें ग्राम पंचायत के ग्राम खजूरा, बालापुना, जोखा वडला की रेल चारों ग्राम सम्मिलित है जो खजूरा पंचायत के ग्राम हैं। तत् पश्चात ग्राम सभा की कार्यवाही अध्यक्ष की अनुमति से बन्द की गई।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-.09 दिनांक :-13-1-2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 5/1/2021... को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 01.....के अनुसार निम्न ग्राम में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत .....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंचायत समिति .....
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Proect Division-I
Banswara Rajasthan

यम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत/ उप समिति कांकनवानी बैंच कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020-21

बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6
राजीव गांधी सेवा केन्द्र कांकनवानी	श्रीमती भिंडु देवी डामोर		आज दिनांक 5-1-2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र कांकनवानी पर मासिक कोरम बैठक का आयोजन किया गया कोरम बैठक की अध्यक्षता सरपंच सहित श्रीमती भिंडु देवी डामोर के द्वारा किया गया। प्रस्ताव नं. 01 जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.0546 हैक्टेयर वन भूमि के इस प्रकार गाँव की संख्या (1) अपरकोट (2) बासड़ी (3) धरलाना (4) सुलियाघाटाघाड़ा के गाँव में पेयजल की आपूर्ति एवं वृहद पेयजल योजना परियोजना	गोरधन [illegible] वार्ड पंच [illegible] सुमनवीर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

[illegible]

[illegible] के विषय में सभी सदस्यों से सहमति ले
[illegible] निर्णय लिया गया है

सर्व सहमति से कोरम बैठक
समाप्त कर दिया गया।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-1
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत श्रीकली.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 02 दिनांक :- 19-1-2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 19-1-2021.. को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 01.....के अनुसार निम्न ग्राम श्रीकली पाड़ में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत

रूपहीना
(रूपहीना कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत श्रीकली
पं.स.कुशलगढ,जि.बांसवाड़ा(राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत श्रीकली
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम पंचायत इनीकली

ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर (पृष्ठ सं. 1)

ग्राम पंचायत बैठक दिनाङ्क ...19-1-2024... का कार्यवाही विवरण ग्राम पंचायत ...इनीकली...,

पंचायत समिति ...कुशलगढ़... जिला बाँसवाड़ा

बैठक - आरम्भ समय ...11:00am...

समापन समय ...~~1:30 pm~~ 2:30 pm...

उपस्थिति - प्रपत्र

पदनाम व नाम	समय आना	समय जाना	हस्ताक्षर	पदनाम व नाम	समय आना	समय जाना	हस्ताक्षर
सरपंच श्री रूपसिंह कटारा			रूपसिंह	~~पंचायत समिति के कार्मिक~~ श्री			
उप-सरपंच श्री बहादुर मसात			बहादुर	प्रधानाध्यापक रा. विद्यालय श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री उमसिंह भाबी			उमसिंह	पटवारी श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री रमेश भाई			रमेश भाई	कृषि पर्यवेक्षक श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री कांता			कांता	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री लखु			लखु	ए.एन.एम. श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				हैंडपम्प मिस्त्री श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				सहायिका श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				राशन डीलर श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				जलदाय पम्प ऑपरेटर श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				विद्युत विभाग के लाईन मैन श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				पशु चिकित्सक श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				महिला पर्यवेक्षक श्रीमती			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर (पृष्ठ सं. III से पृष्ठ सं. XI)

(पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि/अधिकारीगण द्वारा ग्राम पंचायत के निरीक्षण की सारसंक्षेप टिप्पणी)

(1) बैठक में पंचायत समिति कुशलगढ़ के गांवों एवं क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प.स. कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 38 / 12-1-2021 की अनुपालना में पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण में ग्राम वडलीपाड़ा के बोरडी में फोरेस्टलेण्ड 0.2017 हे. एवं गोठ फोरेस्टलेण्ड 0.6793 हे. भूमि के पेयजल परियोजना हेतु निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि के निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत के अनापत्ति का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित। निर्माण स्थली के अनुमोदन किया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया

(2) बैठक में जल स्वच्छता, व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन के नियमों की जानकारी दी गई तथा सभी पर पेयजल के महत्व को बताया गया

(3) बैठक में मुख्य कार्य मुख्य दान योजना के तहत पंचायत में चल रहे कार्यों की जानकारी दी गई तथा उक्त कार्य पर विस्तार से चर्चा की गई

(4) बैठक में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के कार्यों पर चर्चा की गई [illegible] 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना पर चर्चा की गई [illegible] + [illegible] पर भी चर्चा की गई

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या सं. 100)

(5) बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई

(6) बैठक में नरेगा योजना के बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई

(7) बैठक में बालविवाह, बालश्रम जैसी कुरीतियों पर जानकारी दी गई

(8) बैठक में 1-4-2020 से अब तक विभिन्न योजनाओं के प्राप्त राशि के आय-व्यय का ग्रामीणवार पंचायत स्तर पर लेखा जोखा पेश कर पारदर्शिता अपनाई गयी

(9) बैठक में कोरोना बिमारी पर चर्चा की गई तथा इसके रोकथाम पर चर्चा की गई वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन सम्बन्धी कार्यवृत्त की भी जानकारी दी गई

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई

सरपंच
(कमलेश कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत कोकावली
पं.स. कुशलगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत चौखवाड़ा....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-. 32(1) दिनांक :- 28/01/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 29/12/2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 2....के अनुसार निम्न ग्राम .पिपलोन..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(बहादुर मिनामा)
सरपंच
ग्राम पंचायत चौखवाड़ा
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा.....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ...बीरबाड़ा.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-. 33 दिनांक :- 28/01/2020

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- ज़िला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 8....के अनुसार निम्न ग्राम ..डूंगरिया..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(बहादुर मिनामा)
सरपंच
ग्राम पंचायत बीरबाड़ा.....
पं.स.कुशलगढ, जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-बीरबाड़ा...
पं.स. कुशलगढ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

रा. प. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति ग्राम पंचायत चीखवाड़ा बैच प०स० कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020-21

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1/2/20	पंचायत चीखवाड़ा	श्री बहादुर जी निनामा		आज दिनांक 22/12/20 को सरपंच सा० की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठक रखा जाना सुनिश्चित किया गया	
				(1) जन्म-मृत्यु पर चर्चा	
			वार्डपंच सूची	(2) विवाह पंजियन पर चर्चा	
			(1) श्री गणपत जी	(3) पेंशन सूची एवं पेंशन पर चर्चा	गणपत
			(2) श्री मोतिराजू	(4) नरेगा कार्यों पर चर्चा	राजु
			(3) श्रीमति सीता	(5) आवास पर चर्चा	सीता
			(4) श्रीमति पपीता	(6) SBM पर चर्चा	Papita
			(5) श्रीमति शान्तु	(7) कोविड-19 पर चर्चा	Papitamai
			(6) श्री बिजिया		शान्तु

(6) श्री रामेश्वर

(7) श्री गेंदालाल

(8) श्री मोहन

(10) श्री अजयकुमार

(8) जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के अन्यावर्तन के सम्बन्ध में अन्तर्गत दिनांक 22/12/2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पैरा 8 के अनुसार निम्न ग्राम कोडिया पिपलोन में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य में वन भूमि में निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी-को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त वन भूमि के अन्यत्र में कोई जन अभिमत नहीं है।

पेयजल हेतु पाईप लाईन बिछाने पर ग्रा.पं. को कोई आपत्ति नहीं है

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
Public Health Engineering Division-I
Banswara Rajasthan

V.D.O. कुशलगढ़

कार्यालय ग्राम पंचायत: बिलीयाड़ा.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-.

दिनांक :-

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 25.01.21... को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1.....के अनुसार निम्न ग्राम ..बिलीयाड़ा..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(भरतसिंह गरासिया)
सरपंच
ग्राम पंचायत बिलीयाड़ा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :- 33 दिनांक :- 12-01-21

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत समस्त

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में आपके स्तर से वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

अतः उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण सलग्न सूची के अनुसार आपके क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामो में (Forest Right Settlement)की कार्यवाही पूर्ण करवाकर बैठक कार्यवाही विवरण तथा आपकी स्पष्ट अनुशंषा के साथ कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें। ताकि वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बांसवाडा को प्रेषित किया जा सकें।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ़
जिला बांसवाडा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Office of Executive Engineer,PHED,Banswara					
List of Villages coming under water supply project for 399 villages and 395 Dhanis of Blocks					
Kushalgarh & Sajjangarh ,District-Banswara,Rajasthan					
S.No	Village	Gram Panchayat	SDM	Forest Land (Ha.)	Non-Forest Land (Ha.)
1	Kuhdla Khurd	Banswara	Banswara	0.0622	1.8425
2	Navakhera	Banswara	Banswara	0.4072	2.4983
3	Ghatigara	Bagidora	Bagidora	0.0411	1.789
4	Gardiya	Bagidora	Bagidora	0.0729	1.5023
5	Jeerakot	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0625	1.8652
6	Haja Bhavji	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1131	1.8853
7	Kala khoopta	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0215	1.525
8	Bhamri	Banswara	Banswara	0.1729	1.7425
9	Padla Mokha	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0854	4.4983
10	Padla Katara	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1874	1.689
11	Chuna Khan	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0813	5.3023
12	Padla Bankiya	Kushalgarh	Kushalgarh	0.026	1.6652
13	Balasindoor	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0672	1.3853
14	Andeshwar	Sajjangarh	Sajjangarh	0.9672	1.725
15	Macha	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0724	1.9425
16	Tala	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0849	2.7983
17	Tambesara	Sajjangarh	Sajjangarh	0.3712	0.689
18	Tima Mahuri	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1424	1.7023
19	Tidiyadev	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0488	1.1652
20	Kasumba	Bagidora	Bagidora	0.0565	0.9853
21	Khundani hala	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1504	1.529
22	Gorda	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0889	1.7425
23	Ganeshpura	Sajjangarh	Sajjangarh	0.1303	0.7983
24	Khrod-Chatra	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0558	1.589
25	Paridwal Tonja	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0215	0.5023
26	Pathiya	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0166	0.4952
27	Somji Para	Sajjangarh	Sajjangarh	0.0686	1.1853
28	Biya para	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0421	1.025
29	Karmi	Sajjangarh	Sajjangarh	0.4178	1.7425
30	Rasodi	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0557	1.9983
31	Koya Nawapada	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1052	1.389
32	Bawakkot	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1173	1.6023
33	Basdi	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1374	2.5652
34	Sitiya Malgura	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0625	1.7853
35	Ramgadh	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0398	1.925
36	Chapri	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0591	1.5425
37	Gartara	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0492	1.8983
38	Chor Dugor	Kushalgarh	Kushalgarh	0.2849	2.289
39	Hathiyadeli	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0722	2.9023
40	Bhunpada	Kushalgarh	Kushalgarh	0.1571	1.555
41	Taleti	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0933	1.9652
42	Kotariya	Kushalgarh	Kushalgarh	0.0993	2.9853

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(4)

आज दिनांक 05/01/2021 को ग्रामीण निर्माण शाखा गाँधी सेवा पर कार्य बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में निम्नलिखित कार्यों के प्रस्ताव सर्वसहमति से लिए गये। गतिमान में अपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु निर्देश दिये गये।
इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।

प्रस्ताव संख्या 1 → जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत प.स. कुशलगढ़ के ग्राम दुलोदी में पेयजल आपूर्ति हेतु लघु पेयजल योजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि के प्रस्तावतन से होने की आपत्ति नहीं है।

→ (1) श्रीमती लोजी देवी जि.प. सदस्य — लोजी
लोजी / [illegible] जिला परिषद सदस्य वार्ड नं. 22, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा

(2) श्रीमती नारायणी देवी प.स. सदस्य — नारायणी

(3) श्री भरत गरासिया सरपंच — (भरतसिंह गरासिया) सरपंच ग्राम पंचायत बेलीपाड़ा प.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

भरत
बहादुर सिंह

कोजी

सुनिला

रवेला

Chauhan
Engineer
Project Division-I
Banswara Rajasthan

विदेश गुर्जर पड़रिया

गोविंद

भारत गुर्जर विजयसिंह

पंकेश आमोर

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(2)

फुलसिंह

हिरा

वारसिंग वाणी

दिपा

सुभाष डामोर

प्रेम दल

विजयसिंह डामोर

बाबू

अमरसिंह

राजेश

रमेश

राजेश

धारा

मुकेश

(Kuldeep ... uhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. ... Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत बिजोरी बड़ी पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 5 दिनांक :- 13/1/21

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 13-1-21 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1.....के अनुसार निम्न ग्राम बिजोरी बड़ी, बिजलपुर में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(कुशीबा ...)
सरपंच
ग्राम पंचायत बिजोरी बड़ी
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
ग्राम पंचायत .....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत बिजोरीबड़ी पं० स० कुशलगढ़

आज दिनांक 13/01/2021 को ग्राम पं० बिजोरी बड़ी में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर सभी सरपंच साहिबा कुशला मालोर की अध्यक्षता में बैठक आयोजन की गई जिसमें सभी वार्ड पंच एवं ग्रामवासी के द्वारा जानकारी दिया गया। पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गावों एवं ढाणियों 395 में पेयजल के आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना एवं परियोजना का निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.45 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में, जिसमें परियोजना का कार्य आयोजन किया गया है। ग्राम पंचायत के अनुसार पेयजल योजना के निर्माण कार्य वन भूमि में निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है जिसमें सर्व सहमति से यह निर्णय किया गया है।

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1			(अलकेश आमोरा) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिजोरीबड़ी पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
2.	कुशला	सरपंच	(कुशला आमोरा) सरपंच ग्राम पंचायत बिजोरी बड़ी पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
3	नरेन्द्र कुमार	L.D.C	
4.	मन्जुला	उप सरपंच	मन्जुला
5	राकेश	वार्डपंच	राकेश
6	पुना	—	पुना
7	सुनिता	—	सुनिता
8	भाला	—	भाला
9.	प्रेमसिंह	—	प्रेमसिंह
10	मन्जुला	—	मन्जुला

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E. Project Division
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Barswara Rajasthan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत भीमपुरा.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- U.P.B. 2020-21/07 दिनांक :- 18/1/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 16.1.2021 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 001 के अनुसार निम्न ग्राम (1) रतनमाल (2) भीमपुरा में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
(शर्मिला डामोर)
ग्राम पंचायत सरपंच
ग्राम पंचायत भीमपुरा
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भीमपुरा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

PAGE NO.:
DATE 6/1/2021

ग्रा० पं० श्रीमधुरा पं० स० कुशलगढ़

ग्राम पंचायत बैठक (ग्रामसभा)

ग्राम पंचायत श्रीमधुरा के रा० उ० प्रा० वि० श्रीमधुरा पंचायत मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरपंच श्रीमति शर्मिला द्वारा अध्यक्षता की गई।

उक्त ग्राम सभा में पूर्व की कार्यवाही एवं पालना रिपोर्ट ग्रा० वि० अ० द्वारा प्रस्तुत की गई।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा भाग लिया गया

क्र०	नाम	पद	हस्ताक्षर
(1)	श्रीमति शर्मिला देवी	सरपंच	शर्मिला
(2)	दलजी	वार्ड पंच वार्ड नं. 3	दल जी
(3)	कोमचन्द	वार्ड पंच वार्ड नं. 4	कोमचन्द
(4)	भीमाभाई	वार्ड पंच वार्ड नं. 6	[illegible]
(5)	शंकर	वार्ड पंच वार्ड नं. 7	शंकर
(6)	श्रीमती मोमला देवी	वार्ड पंच वार्ड नं. 1	मोमला
(7)	श्रीमति गोरी देवी	वार्ड पंच वार्ड नं. 5	गोरी

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara, Rajasthan

PAGE NO. : 2
DATE : 16/1/2021

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ग्राम पंचायत की ग्राम सभा कार्यवाही शुरू की गई।

प्रस्ताव सं (1.) ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि पंचायत समिति कुशलगढ़ 399 ग्रामों के 395 ढाणियों में पेयजल हेतु वृहद परियोजना का कार्य चल रहा है। फिलहाल कार्य ग्रा.पं. भीमपुरा के रतनमाल व भीमपुरा में प्रस्तावित है उक्त कार्य वन भूमि में क्षेत्र मैनिमम्प्रभावित है यह जानकारी विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई एवं उक्त कार्य वन-भूमि में आपत्ति होने या नहीं होने हेतु प्रस्ताव रखा गया।

बाद चर्चा के योजना की आवश्यकता व अनिवार्यता को देखते हुए। ग्राम रतनमाल व भीमपुरा में वन-भूमि में परियोजना के कार्य पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया एवं उक्त कार्य पर सर्व सहमति दी गई व प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा उक्त कार्य के क्षेत्र में वन-भूमि दावा लम्बित नहीं होना बताकर अनापत्ति दी गई।

अतः उक्त कार्य में ग्राम पंचायत भीमपुरा को कोई आपत्ति नहीं है एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के निर्णय को पारित कर अध्यक्ष की अनुमति से सम्बन्धित ग्रामसभा कार्यवाही बन्द करने की घोषणा की गई।

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत.भंवरदा.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-.GP. 65. दिनांक :- 18-01-2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 08-01-2021 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं.09/55.के अनुसार निम्न ग्राम ..कल्दुपाडा,..अन्दोक में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत

(तेरसिंग चौरेल)
.....सरपंच
ग्राम पंचायत भंवरदा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(दिलीप कुमार डामोर)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भंवरदा
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
आज दिनाँक 05-01-2021 को ग्राम पंचायत मंगरदा में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज डम के पत्रांक 1483 दिनाँक 08-09-2020 के अनुसार जन योजना अभियान (सबकी योजना, सबका विकास) ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2021 के निर्माण हेतु 2 अक्टूबर 2020 से 31-01-2021 तक विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन हेतु प्राप्त निर्देशों एवं नरेगा वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण हेतु ग्रामसभा का आयोजन रा.प्रा.वि. मंगरदा में करवाया गया :- प्रस्ताव संख्या :- 1 गेवल सड़क निर्माण (1) गेवल सड़क निर्माण हनुमान मंदिर से जीवन बोहरा के घर तक सुन्दरीपाड़ा। (2) गेवल सड़क मय पुलिया दीपा। जोगड़िया के घर से आँगनवाड़ी भवन सुन्दरीपाड़ा। (3) वनिता मंवर के घर से हड़िया मीणा के घर तक गेवल सड़क मय पुलिया सुन्दरीपाड़ा। (4) गेवल सड़क व ब्रांटी कटिंग भूरजी/ऊकार के घर से काला/ऊकार के कुआँ तक सुन्दरीपाड़ा (5) गेवल सड़क मय पुलिया जालु के घर से कोदा मेहता के घर तक मंगरदा (6) गेवल सड़क मय पुलिया विद्यालय मंगन से मालाड़ी तक मंगरदा (7) गेवल सड़क मय पुलिया सेतु के घर से दिपु/वालु के घर तक मय ब्रांटीकटिंग मंगरदा (8) गेवल सड़क रालु/लपा के घर से दामणा/चोखा के घर तक मंगरदा। (9) गेवल सड़क रूपा/धीरजी के घर से बाबू/कालिया के घर तक मंगरदा (10) गेवल सड़क मय पुलिया मैन रोड से राकेश/बादर के घर	Singh Chauhan Assistant Engineer P.H.E.D. Project Division-1 Banswara Rajasthan

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
प्रस्ताव संख्या 08 केटलशेड निर्माण :-	
(1) केटलशेड इला / किका सुन्दरीपाड़ा	
(2) केटलशेड दुनलिया / हरिया —"—	
(3) केटलशेड दिलीप / राणजी —"—	
(4) केटलशेड वालचन्द / धुलजी —"—	
(5) केटलशेड निर्माण नार / बादर मंवरदा	
(6) केटलशेड निर्माण भावा / लालु —"—	
(7) केटलशेड निर्माण गवजी / कोदर —"—	
(8) केटलशेड निर्माण रामा / लुंजा हल्दूपाड़ा	
(9) केटलशेड निर्माण लालचन्द / मिठ्ठी हल्दूपाड़ा	
(10) केटलशेड निर्माण रामचन्द / हेरजी मोराज	
(11) केटलशेड निर्माण मुकेश / मुण्डा ओडवा	
(12) केटलशेड निर्माण रामचन्द / मुण्डा ओडवा	
(13) केटलशेड निर्माण नाहरीया / पूंजीया ओडवा	
प्रस्ताव संख्या 09. श्रीमान विकास अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 38 दिनांक 12-01-2021 के अनुसार पंचायत समिति कुशलगढ़ के 599 गांवो मे एवं 395 ढाणियो मे पेयजल आपूर्ति हेतु बृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.5546 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत के गाँव हल्दूपाड़ा एवं अन्दोक मे आने वाले ग्रामो की वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत को किसी भी आपत्ति नही है। यह प्रस्ताव ग्राम पंचायत मे सर्वसम्मति से लिया गया।	
(दिलीप कुमार डामोर) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बोरवा पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा	(Pradeep Singh Chauhan) Assistant Engineer PHED Works Division-I Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत श्रीकली.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :- 02 दिनांक :- 19-1-2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 19-1-2021.. को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 01.....के अनुसार निम्न ग्राम श्रीकली में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
ग्राम पंचायत

(रूपसिंह कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत श्रीकली
पं.स.कुशलगढ,जि.बांसवाडा(राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत श्रीकली
पं.स.कुशलगढ जिला बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

ग्राम पंचायत सीकली

ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर (पृष्ठ सं. I)

ग्राम पंचायत बैठक दिनाङ्क ...19-1-2024.. का कार्यवाही विवरण ग्राम पंचायत ...सीकली...,

पंचायत समिति ...कुशलगढ़... जिला बाँसवाड़ा

बैठक - आरम्भ समय ...11:00am...

समापन समय ...~~1:30 Pm~~ 12:30 Pm...

उपस्थिति - प्रपत्र

पदनाम व नाम	समय आना	समय जाना	हस्ताक्षर	पदनाम व नाम	समय आना	समय जाना	हस्ताक्षर
सरपंच श्री रूपसिंह कटारा			रूपसिंह	पंचायत समिति के कार्मिक श्री			
उप-सरपंच श्री बहादुर सिंह			बहादुर	प्रधानाध्यापक रा. विद्यालय श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री प्रभुसिंह भाबी			प्रभुसिंह	पटवारी श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री रमेश कटारा			रमेश	कृषि पर्यवेक्षक श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री कांता			कांता	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार			
पंच वार्ड संख्या श्री लाल			लाल	ए.एन.एम. श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				हैंडपम्प मिस्त्री श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				सहायिका श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				राशन डीलर श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				जलदाय पम्प ऑपरेटर श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				विद्युत विभाग के लाईन मैन श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				पशु चिकित्सक श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				महिला पर्यवेक्षक श्रीमती			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			
पंच वार्ड संख्या श्री				श्री			

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि/अधिकारीगण द्वारा ग्राम पंचायत के निरीक्षण की सारसंक्षेप टिप्पणी)

(1) बैठक में पंचायत समिति कुशलगढ़ के गांवों एवं ढाणियों में पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प.स. कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 38 / 12-1-2021 की अनुपालना में पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण में ग्राम वडलीपाड़ा के बोरवेल में फ्लोराइड लेवल 0.2017 है एवं कोल फ्लोराइड 0.6793 है प्राप्त होने से पेयजल परियोजना हेतु निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि के निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत से अनापत्ति का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें सभी ने अनुमोदन किया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया

(2) बैठक में जन्म मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण के नियमों की जानकारी दी गई तथा सभी पर पंजीकरण के महत्व को बताया गया

(3) बैठक में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पंचायत में चल रहे कार्यों की जानकारी दी गई तथा उक्त कार्य पर विस्तार से चर्चा की गई

(4) बैठक में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के कार्यों पर चर्चा की गई तथा सभी पर 100 प्रतिशत प्राप्ति की कार्य योजना पर चर्चा की गई तथा जलाशय पर भी चर्चा की गई

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara (Rajasthan)

ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या सं. 100)

(5) बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी

(6) बैठक में नरेगा योजना के बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई

(7) बैठक में बालविवाह, बालश्रम जैसी कुरीतियों पर जानकारी दी गई

(8) बैठक में 1-4-2020 से आज दिनांक तक विभिन्न योजनाओं के प्राप्त राशि के आय-व्यय का गोश्वारा पढ़कर सुनाया गया सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया

(9) बैठक में कोरोना बिमारी पर चर्चा की गई तथा इसके रोकथाम पर चर्चा की गई वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन सम्बन्धी कार्यवाही की भी जानकारी दी गई

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई

सरपंच
(कुलदीप सिंह कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत सीकवाड़ी
पं.स. गुढ़ाबालोद, जि. बांसवाड़ा (राज.)

सहायक अभियन्ता
जल जीवन मिशन

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-.33 दिनांक :- 30/6/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 30/6/2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 01...के अनुसार निम्न ग्राम .....बासी..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

सरपंच
सरपंच
संगीता डामोर
ग्राम पंचायत बरसी.....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत...बरली.....पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-. 33(1) दिनांक :- 16/1/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक ..30/6/20.. को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. (1)....के अनुसार निम्न ग्राम ..बरली..... में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

संगीता
सरपंच
संगीता बड़खिया
ग्राम पंचायत बरली.....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी.....
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
ग्राम पंचायत .....

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajastnan

ग्राम सभा

आज दिनांक 30.6.20 को श्रीमती सरपंच महोदया की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के पोल वाटर लाशान में अनावश्यक आपदा जैसी भारी भूमि के सम्बन्ध में ग्राम स्तर समा व शैशवास्था डिस्प्लेस की पालना करते हुए ग्राम सभा की गई। कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निर्गमित पट्टे (लेवल नाम्बर अनुसार) की किसी भूमि के अवैध आवंटन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह अनावश्यक आवेदन 60 दिन के अन्दर भारी आपत्ति विवरण में भूमि आवंटित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन के समक्ष अथवा में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद गुजरने आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस मिटींग का आयोजन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुचामन के आदेश क्रमांक भू.अ. 2019/341-342 दिनांक 20.2.20 की पालना में की गई।

निम्न व्यक्ति उपस्थित थे।

1) कालिया पिता भानीया गोत्र

2) शम्भु, मलखीया, दल्लु व हिम्मा/नरसीया गोत्र

3) मसरु पिता कड़वा व मेला पत्नी मसरु गोत्र

4) गुरजी पिता हकरा गोत्र

5) गुरजी पिता हकरा गोत्र

6) सोहनपिता कड़वा व भाली पत्नी सोहन

7) कड़वा पिता दलसीया व राजली पत्नी कड़वा

8) मसरु पिता कड़वा व मेला पत्नी मसरु

Kuldeep Singh Chauhan
Assistant Engineer
PHED. Project Division-
Banswara Rajasthan

(9) रमेश पिता बिरधु व रामकन्या पत्नी रमेश

(10) भीमा पिता हुमला व शंभु पत्नी भीमा

(11) मदीया पिता लुंजा व हुंना पत्नी मदीया

(12) ~~[illegible]~~ पारचन्द पिता कालरिया व लीला पत्नी पारचंद

(13) भानु पिता हुरा व

(14) देवा पिता हुरा

पटवारी ने बताया रमेश पिता बिरधु व रामकन्या पत्नी रमेश का खसरा नं. 362/108 रकबा 2.00 हेक्टेयर जो कि पूर्व में जांच में आया और ~~[illegible]~~ बताया था कि ये खसरा नं. 362/72 2.00 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र में डूब में नहीं आता है ये तालाब से लगभग 1 km दूर स्थित है। समस्त की जानकारी दी गई आवंटन होने वाली भूमि आच्छादित की जानकारी दी गई।

बहादुर पिता देवा के आच्छादित जमीन की केवल हमारा खसरा नं. 363/106 रकबा 0.80 है। जो रमेश पिता बिरधु का नाम दर्ज है बताया है। जब पूरी कार्यवाही के लिए डूब क्षेत्र में गया।

मौके पर अन्य किसी की आच्छादित नहीं आई है।

सरपंच
ग्राम पंचायत बल्ली

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

प्रस्ताव :- 1

जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गावों एवं 399 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु हर घर पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध के ~~बारे~~ अन्तर्गत दिनांक 30/6/2020 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या (1) के अनुसार ग्राम बानी, फलीया खेड़ली में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वनभूमि में निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। जिसमें सर्व ~~सहमति~~ सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त वनभूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नहीं है।

पेयजल हेतु पाईप लाइन बिछाने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच
ग्राम पंचायत .....
पं.स. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत...बगायचा...पं.स कुशलगढ

क्रमांक :-. 37/21/22 दिनांक :- 13/01/2021

सेवामे

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति कुशलगढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कशलगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ पत्र क्रमांक न्याय/2020/51 /52 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अर्न्तगत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य के सम्बन्ध के अन्तर्गत दिनांक 13/01/2021 को ग्राम सभा आयोजित की गयी है।ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 02...के अनुसार निम्न ग्राम ...में पेयजल योजना परियोजना के निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे वन भूमि मे निर्माण कार्य करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। जिसमे सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेयजल निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा लम्बित नही है।

(संजय मेईड़ा)
सरपंच
ग्राम पंचायत बगायचा
पं.स.कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगायचा
पं.स.कुशलगढ़ जि.बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

विशेष ग्राम सभा (13)

दिनांक 13/1/2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ पत्र क्रमांक न्याय 2020/डा/152 दिनांक 8.1.2021 व श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 38 दिनांक 12.01.02 के आदेशानुसार पेयजल कि आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वन-भूमि के प्रभावर्तन के सम्बन्ध मे आज दिनांक 13.01.2021 को सरपंच श्री संजय मछेड़ कि अध्यक्षता मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे निम्न कर्मचारी अधिकारीयो ने भाग लिया

क्र०सं०	कर्मचारी अधिकारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	संजय मछेड़	सरपंच	
2.	~~[illegible]~~ मणिलाल नायक	उ० सहायक	
3.	रामचन्द्र डामोर	वार्ड पंच	रामचन्द्र
4	ललिता गरवाल	वार्ड पंच	ललिता
5			
6			
7.			

सर्वप्रथम ग्राम सभा का वाचन किया गया सर्वसमिति द्वारा अनुमोदन किया गया

(1) श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी कुशलगढ़ के आदेशानुसार ग्राम सभा मे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य हेतु वन भूमि प्रभावर्तन के सम्बन्ध मे हाथिमाविल्ली व चोरडुगरी ग्राम पंचायत क्षेत्र मे ग्राम सभा मे निम्न प्रस्ताव लिया गया —

प्रस्ताव : सं० 2 :- पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवो एवं 395 ढाणियो मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 12.9525 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन कम मे वन भूमि मे ग्राम चोरडुगरी एवं हाथिमाविल्ली मे वन भूमि मे पारेषण लाइन का कार्य करने पर सर्वसमिति से कार्य करने से किसी ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है

यह निर्णय ग्राम सभा द्वारा सर्वसमिति से लिया गया

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

बाबू अमरसिंह

बाबू बिरसिंह

राजेश तोलीया

मीना सब मांगुडी

वाटी सुशीला

सुमा नाथुलाल कालीया

लक्ष्मी चम्पा

मांगीलाल

मनरेगा मे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से व ग्राम सभा मे उपस्थित समस्त सदस्यो व ग्रामिणो के सर्वसम्मति से ग्राम सभा का समापन किया गया।

(संजय गेहड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स.कुशलगढ़

Kulbir Singh Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ, जिला बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/2021/ 103 दिनांकः– 15/02/2021

श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय
बाँसवाड़ा।

महोदय जी,

विषयः–पं.स. कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यार्वतन प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक कार्यवाही भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः–श्रीमान का पत्र क्रमांक एफ–4 () राजस्व/2019/1858 दिनांक 24.12.2020 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में निवेदन है कि जिला बाँसवाड़ा के अन्तर्गत पं.स. कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं निर्माण के कार्य हेतु उपखण्ड कार्यालय अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन दिनांक 15.02.2021 को किया गया, जिसकी बैठक कार्यवाही श्रीमान् जी की सेवा में इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

15.02.21
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़, जिला बाँसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय उपखण्ड अधिकारीसज्जनगढ, जिला बाँसवाड़ा (राज.)

।। उपखण्ड स्तरीय बैठक ।।

आज दिनांकः—.15.02.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति सज्जनगढ की बैठक कर आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए।

क्र. स.	नाम सदस्यगंण	हस्ताक्षर	मोबाइल नं.	वि.वि
1.	हेमराज परिडवाल		823950513	
2.	भरत कुमार नाई		9983002473	
3.	कुलदिप चौहान		9983547011	
4	महावीर प्रसाद जैन		9636770650	

श्रीमान् जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा के पत्र क्रमांक.एफ.4( )राजस्व/2019/1858 दिनांक 24.12.2020 की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर में से कुछ भाग जिसकी सूची अगले पृष्ठ पर दर्ज है जो कि वन भूमि के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त वनखण्ड के कुल क्षेत्रफल 3.6906 हैक्टेयर भूमि पर कार्य करवाया जाना है।

उक्त प्रकरण में कुषलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के प्रस्तावित लाईन एवं अन्य कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति में रखा गया। जिसमें समिति को कोई आपत्ति नहीं है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कुषलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद् पेयजल परियोजना निर्माण हेतु स्वीकृति एवं अनापतित्त प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुषंषा करती है।

विकास अधिकारी
सज्जनगढ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सज्जनगढ

तहसीलदार
सज्जनगढ़, जिला बाँसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
F... Division-I
... Rajasthan

कार्यालय उपखण्ड अधिकारीसज्जनगढ, जिला बाँसवाड़ा (राज.)

क्र.स.	गांव का नाम	रकबा	वि.वि.
1	जीराकोट	0.0625	
2	हैजा भावजी	0.1131	
3	काला खूंटा	0.0215	
4	पाडला मौखा	0.0854	
5	पाडला कटारा	0.1874	
6	चुनाखान	0.0813	
7	बालासिन्दुर	0.0672	
8.	अन्देश्वर	0.9672	
9.	माचा	0.0724	
10.	इटाला	0.1449	
11	ताम्बेसरा	0.3712	
12.	टिम्बा महुडी	0.1424	
13	टिडियादेव	0.0488	
14	कसुम्बा	0.0565	
15	खुन्दनी हाला	0.1504	
16	गोड़ा	0.0889	
17	गणेशपुरा	0.1303	
18	खूंटा चतरा	0.0558	
19	पण्डवाल लून्जा	0.0215	
20	पाटडियां	0.0166	
21	सेमंजी पाडा	0.0686	
22	बियापाडा	0.0421	
23.	कारमी	0.4178	
24	गराडियां	0.0729	
25	भंमरी	0.1779	
26	पाडला वडखियां	0.026	
		3.6906	

विकास अधिकारी
सज्जनगढ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सज्जनगढ

तहसीलदार
सज्जनगढ, जिला बाँसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ, जिला बाँसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय पंचायत समिति सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंसस./पंचायत/2020–21/311 दिनांक :–01.02.2021

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ।

विषय :– पंचायत समिति सज्जनगढ में अनापत्ति प्रमाण पत्र के कम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 है. भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम सभा आयोजित की गई तथा निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया। तथा निर्माण के सम्बन्ध में पंचायत समिति सज्जनगढ को कोई आपत्ति नही है।

(भरत कुमार)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, सज्जनगढ़
जिला बॉसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत .....गढ़ी..... पंस. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15-10-20 को श्रीमान् / ~~श्रीमती~~ शंकरलाल सरपंच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत .....गढ़ी..... की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या -- 4 जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत गढ़ी
पं.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ...चनावला..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ SPL दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 15-10-20 के प्रस्ताव संख्या 04 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पं.स.सज्जनगढ, जि.बांसवाडा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत चनावला
पं.स.सज्जनगढ, जि.बांसवाडा (राज.)
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ...ईटाला..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 15.10.2020 के प्रस्ताव संख्या ...13..... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

विस्तार अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

प.स.प्र.44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / ग्राम समिति ईसला ब्लॉक सज्जनगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020

बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
13.10.2020	भारत निर्माण सभा ईसला	श्रीमान सरपंच साहब सिंकु देवी	प्रस्ताव : 12	वार्ड नं. 05 1. चेकडेम निर्माण - हाड़ाफला, धोलीसाड़ा 2. चेकडेम निर्माण - खेवानेया वालाफला धोलीसाड़ा 3. चेकडेम निर्माण - धोलीसाड़ा वाला नाला	
			प्रस्ताव : 13	~~वार्ड नं. 02~~	
			प्रस्ताव	कि सदन में जिला बाँसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ के 379 गाँव एवं 295 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बोहड़ पेयजल परियोजना (योजना) के निर्माण कार्य की प्रभावित होने वाली 16.45 / 45 हेक्टेयर वन भूमि ले लिये जाने के प्रभावित होने वाली वन भूमि को प्रत्यावर्तन किया जाने विषय माधवईयाला उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है।	कमलेश बलवीर जगदीश रतन

आज : मैं ग्रामसभा अध्यक्ष के साथ सभा की कार्यवाही प्रत्येक सदस्य का विवरण किया गया।

सचिव
पंचायत समिति
बाँसवाड़ा

सरपंच
ग्राम पंचायत
बाँसवाड़ा

Yogendra Singh Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत .....डेमारा - खुर्द..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ 08 दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 21/10/2020 के प्रस्ताव संख्या ....04.... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E. Division-I

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

(राज.) वर्ष 2025-

जिला बांसवाड़ा

समिति ग्रा.पं. ईकला-छोटा बैच सं. ग्रा.पं. अलवाड़ा

बैठक का स्थान 2	अध्यक्ष/सरपंच के नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक में की गई कार्यवाहियां 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
ग्राम पंचायत ईकला-छोटा	श्री लाखकर भाई डामोर सरपंच	अध्यक्ष श्रीमती कुसिला मांगीलाल सुनिता हुलचन्द कुसिला चम्पा गीता कैलाश लच्छीबाई	आज दिनांक 21/10/2025 बुधवार को ग्रा. पंचायत ईकला-छोटा के आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यालय के समिति अलवाड़ा के आदेश क्रमांक 1 प्रमाण दि. 16/9/2025 व श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाड़ा के द्वारा क्रमांक 1864 दि. 18/9/2025 के अनुसार श्रीमान लालचन्द भाई डामोर सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि, वार्ड पंचों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्राम सभा की ग्राम स्तर पर निम्न कार्यवाही की गई —	अक्षय सुनिता मांगीलाल हुलचन्द कुसिला चम्पा गीता कैलाश लच्छीबाई

(1) विकास पर विचार चर्चा की गई। सबका साथ सबका विकास विषय में आयुष्मान कार्ड, 25 विभागों पर विचार चर्चा की गई —

(2) इकन ग्राम सभा में GPDP अवधी 2026-27 हेतु विकास प्रस्ताव लिए गए। —

वार्ड नं. 1 लच्छीबाई

1. हस्तशिल्प कन्यायें
2. कला शिल्पकार
3. लादर S/o
4. [illegible]
5. कुलाने / [illegible]
6. [illegible] / पुरा
7. विद्यार्थियों
8. कमला
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E. Dungar Division-I
Banswara Rajasthan

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

..... (राज.) वर्ष 20..

..... बैच ..... जिला .....

अध्यक्ष / सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
3	4	5	6
		वार्ड नं. 09 मोटापाड़	
		131. हैण्डपम्प स्थापना तालसिंग के घर के पास	हस्ताक्षर
		132. — " — पेट्रोल पंप मोटापाड़	
		133. — " — प्रमिला / निर्मला के खेत के पास	
		134. सी.सी. सड़क निर्माण मेन रोड़ से निनामा कला मोटापाड़	कालुसिंग
		135. सी.सी. सड़क निर्माण चतु के घर से मोतीलाल के घर की मोर	
		136. सार्वजनिक कूप निर्माण शशिमा / होबली के खेत के पास	
		137. सीसी. सड़क निर्माण मेन रोड़ से सोमलीवाड़ा चौराहा	रमेश
		138. रिंगवाल मय पुलिया निर्माण (पोहारिया किनारे) के पास वाले नाले पर	
		प्रस्ताव 09 बैठक में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4526 है. व भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया गया।	हस्ताक्षर
		उक्त ग्राम सभा का आयोजन प्रातः 11:00 बजे किया गया व श्रीमान सरपंच महोदय के सम्बोधन के पश्चात 12:00 बजे ग्राम सभा का समापन किया गया।	

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-1
Banswara Rajasthan

आज दिनांक 21/10/2020 को श्रीमान् / श्रीमती [illegible] श्री सरपच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डेरा-खुर्द की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 1 जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

हस्ताक्षर
सरपंच

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत खन्दनीकाला पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/02 दिनांक :–26.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 26.1.2021 के प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(अरविन्द पटेल)
सरपंच
ग्राम पंचायत खन्दनीकाला
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

राजश्री जोधपुर

पंचायत/उप समिति खुदनीहाला बैंच सज्जनगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020-21

बैठक की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
26-1-2021		श्री अरविन्द पटेल		आज दिनांक 26-01-2021 को ग्राम पंचायत कुशलाखेड़ा सरपंच श्री अरविन्द पटेल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में पूर्व बैठक कार्यवाही विवरण को पढ़कर सुनाया गया तथा ग्राम सभा के महत्व को बताया गया ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव लिये गए-	
				1. प्रस्ताव नं0-1 जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति सज्जनगढ़ के उक्त गांवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निगमों द्वारा के प्रस्तावित होने वाली 16.45546 हेक्टेयर वन भूमि के प्रस्तावन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के गांव खुदनी हाला को गणेशपुरा वन भूमि के पेयजल लाभान्वित होने पर ग्राम पंचायत खुदनीहाला को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से किया गया।	

(अरविन्द पटेल)
सरपंच
ग्राम पंचायत खुदनीहाला
प.स. सज्जनगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-1
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत खुरान्चतरा पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 15/8/20 के प्रस्ताव संख्या 05 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंस सज्जनगढ,बांसवाडा।

सरपंच
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत का नाम खूटाचतरा पंचायत समिति सज्जनगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020

बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
15/8/20	जीवि गोष्ठी सेवाडेन्द्र खूटाचतरा	श्री बड़ोसिंह गयासिंह सरपंच		आज दिनांक 15/8/20 को ग्राम पंचायत खूटाचतरा मे ग्राम सभा का आयोजन 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस के रूप मे आयोजन किया गया। जिसमे ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच श्री बड़ोसिंह गयासिंह के द्वारा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत कोरम के उप सरपंच सहित समस्त वार्ड पंच गाँव के गणमान्य नागरिकों जनवासियों व ग्रामीणो ने भाग लिया।	बोमलाल दिलीप 15/8/2
		सरपंच ग्राम पंचायत खूटाचतरा प.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)		आज की ग्राम सभा मे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अनुसार 15 अगस्त 2020 की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वरियता सूची (BPL मे कच्चे परिवार, अवैध वाले होने का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करने व स्वच्छ भारत के तहत व्यक्तिगत शौचालय	
				की घोषणा के सम्बन्ध मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे ग्राम पंचायत की समस्त जन समुदाय को प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की विस्तार से चर्चा की गई।	हरजी नरेगा
				आज की बैठक मे महा. नरेगा योजना के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने हेतु सहमति मे चर्चा की गई।	2 मेट बाबूलाल
				प्रस्ताव 1 आज की ग्राम सभा मे प्रधानमंत्री आवास योजना की वरियता सूची ग्राम सभा के पढ़कर सुनाई गई। जिसमे BPL एवं सरकारी कर्मचारी, पूर्व लाभार्थी एवं ग्राम गाँव मे निवास नही करने वाले परिवार व स्थानान्तरण परिवार जो वरियता सूची मे है उनको पढ़कर सुनाया गया व सर्व सहमति से सूची मे से फर्जी सहीत सूची अग्रेषित करने का प्रस्ताव लिया गया	सुरेश रामलाल चिमन बाबू गत्ता भोलेशंकर जाहगीर प्रेम
				प्रस्ताव 2 आज की ग्राम सभा मे सभी ग्रामीणो को सभी के प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को अपने-अपने घर पर एक-एक पौधा लगाने हेतु जानकारी सदन मे दी गई	निकेश हरजी अंगूरिन

Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-
Banswara Rajasthan

नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति खूटाघाटरा ..... ब्लॉक सज्जनगढ़ ..... जिला बाँसवाड़ा ..... (राज.) वर्ष 2020

क्रम संख्या	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सभापति के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
			4	5	6
				प्रस्ताव संख्या - (4) आज की ग्राम सभा में इंदिरा गांधी आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 20-21 तक सूची में अपात्र लाभार्थियों की जानकारी दी गई तथा सर्व सहमति से इनके नाम हटाने हेतु प्रस्ताव लिया गया। क्या कारण सहीत पंचायत कोरम व ग्रामीणों को जानकारी दी गई।	
				परिवार क्रमांक मय कारण	
			1	श्री रामा /जालिया (03(1219809) पति,पत्नी मृत्यु	गणेश
			2.	मंगला /रेमा (30)(1456730) पति,पत्नी मृत्यु	दीपू
			3.	धीरा /गालिया (34) 1347552 ग्रुप में नहीं	मानसिंग
			4	हूदा /दला (55)(2336124 गाँव में नहीं	दिनेश नितेश
			5	हूदा /रमा 133(1457692 परिवार गाँव में नहीं	
			6	हिरा /करसेन 214(1976994 सभी लाभार्थी	बहादुर दिपा तीसजी
			7	हरा /मडीया 238(2075085) मृत्यु पत्नी (खानाखराब)	जवानसिंग
			8	रूपाली /बिछुडा 282(2265030) गाँव में नहीं	
			9	जगु /हडीया 336(2311532) गाँव में नहीं	
			10	झिथरा /दिपा 390(2761739) पति,पत्नी मृत्यु	
			11	गालिया /पालहेरा 394(2766184 मृत्यु मुखिया परिवार पलायन गाँव में नहीं	
			12.	वीरा /कानहेरा 427(2820056 गाँव में नहीं है	
			13	मलू /बिजसिया 442(2865053 पति,पत्नी मृत्यु	
			14	नानजी /हकजी 488(2866713 पति,पत्नी मृत्यु बहु	
				[illegible]	कर्मचारी

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara

पं.स. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति खूंटाचतरा बैंच सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020

क्रमांक होने दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
			(16)	दिनेश /धारजी 585 (3612945) गाँव में नहीं है	सीगा
			(17)	दिला /हुरता S.C 19 (1965599) बांसवाड़ा से	बा
			(18)	हरदा /हीमा S.C 20 (2988620) पति-पत्नी मृत्यु	अनिल पप्पु सोमला भूरी डबुरी मालिया
			प्रस्ताव सं.	(04) ग्राम सभा में समस्त ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों वार्डपंच की मांग अनुसार बारादरी भवन निर्माण कार्य अलकिया बस स्टेण्ड (भैरवजी मन्दिर पास) हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन सदन द्वारा किया गया। उक्त कार्यवाही पश्चात माननीय ग्राम सभा सन्ध्या 4 बजे समाप्त की गई	भालुराम वाटा बीना
			प्रस्ताव सं.	(05) आज की ग्राम सभा में श्रीमान विकास अधिकारी महोदय के प्रस्ताव अनुसार व आदेशानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र की वन भूमि में पेसा की मंजूरी हेतु सहित पेसा अध्यक्ष परिसीमन के संबंध में ग्राम में मतभेद के कोई आपत्ति नहीं है यह निर्णय सर्वसम्मति से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया।	बालसिंग राजा पंचायत दिनेश प्रभु सीमलाल उपसरपंच

सरपंच
ग्राम पंचायत खूँटाचतरा
पं.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खूँटाचतरा
पं.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Division-I
Banswara

कार्यालय ग्राम पंचायत .....उन्देवा..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के क्रम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 15/1/2021....के प्रस्ताव संख्या ....01.... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत, ...
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

सरपंच
पंचायत
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति ग्रा.पं. अन्देश्वर बैच पं.स. सन्त्रनगर जिला बांसवाड़ा (राज.) (राज.) वर्ष 20

नि ङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	2	3	4	5	
	राजीव गांधी सेवा केन्द्र अन्देश्वर	श्री नरेन्द्र मईड़ा		आज दिनांक 15/1/2021 को कार्यालय ग्रा.पं. अन्देश्वर में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सन्त्रनगर, जिला बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा राष्ट्रीय चौपाल जनसुनवाई निरिक्षण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच साहब, वार्ड पंच, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य गणों ने भाग लिया व ग्रा.पं. क्षेत्र में चल रहे विभिन्न प्रगतिरत व अप्रगतिरत कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया। प्रस्ताव संख्या (1) जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति के रखन ग्राम	

सरपंच
पंचायत अन्देश्वर

Mukesh Singh Chauhan)
Project Assistant Engineer
Sanjeevani Area Division-I
Banswara Rajasthan

[illegible] ग्राम
[illegible] भूमि के [illegible] जा रहे
[illegible] हेतु वृहत्त [illegible] योजना
परियोजना निर्माण कार्य के प्रभावित होने
वाली वन भूमि का प्रस्तावित किया जाना
उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया।
प्रस्ताव हेतु निम्न गांव लिये गये

(1) अन्देश्वर
(2) भमरी
(3) चुनारवान

ग्राम [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
प.स. सज्जनगढ़, जि. भीलवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

रा.प.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

50
राजश्री जोधपुर

पंचायत/उप समिति तास्वेसरा बैंच सज्जनगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020-21

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
05/11/2020	रा. गा. से. केन्द्र तास्वेसरा	(मुकेश रावत) ग्राम पंचायत प.स. सज्जनगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)		सदन में जिला बाँसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ के 333 गाँव एवं 375 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बहुद्देशीय पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली हैक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जावे।	
		सरपंच साहब श्री मुकेशचन्द्र रावत		(1) सर्वसम्मति उक्त प्रस्ताव सर्वसहमति से किया गया है। ~~प्रस्ताव संख्या 06~~ अतः में सभा का समापन किया गया।	सुरेश, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
		ग्रा. वि. अधिकारी सकन सोडिया			
		प.स.		ग्राम वि. अधिकारी ग्राम पंचायत तास्वेसरा प.स. सज्जनगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)	(मुकेश रावत) ग्राम पंचायत प.स. सज्जनगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. project Division-I
Banswara (Rajasthan)

कार्यालय ग्राम पंचायत .....पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक .....के प्रस्ताव संख्या ..... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पं.स. सज्जनगढ, बांसवाडा

(सुरेन्द्र भगवान)
सरपंच
ग्राम पंचायत .....
प.स. सज्जनगढ, बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Proj. Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ...[illegible]..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 14/1/2021 के प्रस्ताव संख्या ...1..... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत शक्करवाड़ा
पंस.सज्जनगढ,जि.बांसवाडा(राज.)
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत ...[illegible]...
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

कार्यालय ग्राम पंचायत ...[illegible]..... पंस. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 14/1/2021 को श्रीमान् /श्रीमती [illegible] सरपंच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ...[illegible]..... की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 1 जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गाव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

[illegible]
हस्ताक्षर
सरपंच

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पं.स.सज्जनगढ,जि.बांसवाडा(राज.)

(Kulde[illegible] Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	3	4	5	6
	श्रीमती नर्बदा देवी		आज दिनांक 14/01/2021 को ग्राम पंचायत शक्करवाड़ा में सरपंच लाडपुरा श्रीमती नर्बदा देवी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत का आयोजन कोविड गाइड लाइन व मास्क लगाते हुए ग्राम पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया	
	(सरपंच लाडपुरा) ग्राम पंचायत शक्करवाड़ा			
	नर्बदा (नर्बदा) सरपंच ग्राम पंचायत शक्करवाड़ा प.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)	—	कार्यालय पंचायत समिति सज्जनगढ़ के आदेश क्रमांक प.3प 19/15 दि. 21.12.2020 के अनुसार ग्राम पंचायत शक्करवाड़ा में ग्राम पंचायत विकास योजना (UPDP) 2020-21 निर्माण हेतु ग्राम पंचायत का आयोजन कोविड गाइड लाइन पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखकर की बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में UPDP योजना हेतु प्रस्ताव निम्न प्रकार पारित किया गया।	
	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शक्करवाड़ा प.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)			
	Assistant Engineer (Kuldeep Singh Chauhan) Assistant Engineer P.H.E.D. Project Division-1 Banswara Rajasthan			
	Gen Secretary Gram Panchayat		पंचायत में कुल 26 ई-मित्र आपरेटर द्वारा आयोजन के अनुसार ग्राम पंचायत में दिनांक 21.02.2021 को	

बैठक का कार्यवाहियों का रजिस्टर

/उप समिति शाखाखाड़ बैच पं.प्र. हिमाकरण जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 20/.2.

बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्ष
2	3	4	5	6
		प्रस्ताव सं. 1	आज की ग्राम सभा में गांवो ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल परियोजना निर्माण कार्यों में प्रस्तावित होने वाली 16.9546 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन किये जाने का प्रस्ताव फोरम में सर्व सहमति से लेकर ग्राम पंचायत कदारा (1) पाडला कटेरा (2) पाडला बड़खीया तीन गांवो में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल आपूर्ति योजना के वन भूमि में किये जा रहे पेयजल परियोजना निर्माण कार्यों में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाने अवस्थ प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया है। वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिसमें ग्राम पंचायत शाखाखाड़ की कोई आपत्ति नहीं है।	

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ....हिरवा महुडी.... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के क्रम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 26-1-2021 के प्रस्ताव संख्या ....1.... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स.सज्जनगढ, जि. बांसवाडा (राज.)
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत हिरवा महुडी
पं. स. सज्जनगढ, जि. बांसवाडा (राज.)
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] पंस. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक ..... को श्रीमान् /श्रीमती ..... सरपंच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत [illegible] की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या –(1) जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत सरपंच [illegible]
पं. स. सज्जनगढ, जि. बांसवाडा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-1
Banswara Rajasthan

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

राजश्री जा.

ग/उप समिति ग्रा. पं. टिम्बामहुडी बैंच जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 20..21

बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6
ग्रा. पं. टिम्बामहुडी	श्री हुरतेराम जी कामोल		आज दिनांक 26/01/2021 को ग्राम पंचायत टिम्बामहुडी में 72 वें गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी का आयोजन किया गया जिसमें अध्यक्षता सरपंच साहब श्री हुरतेराम जी कामोल ने की एवं पंचायत कार्यालय के सभी पंच गण एवं ग्रामीणों ने भाग लिया साथ ही ग्राम कर्मचारीगण अधिकारीयों ने भाग लिया	श्रमिक संगठन (2) मंगीलाल तोलाराम हुरतेराम अमर सिंह
सरपंच अधिकारी पंचायत ड़, जि. बांसवाड़ा (राज.)	हुरतेराम	प्र. ब. 1	ग्रामसभा द्वारा में ग्रामीणों द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.45546 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन किये जाने का प्रस्ताव कोरम में सर्व सम्मति से पारित अनुमोदन किया गया। जिसमें निम्नानुसार गांव आते हैं। (1) टिडियाड़ा (2) कल्याण (3) टिम्बामहुडी आदि गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल आपूर्ति योजना का वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया।	घीसा (5) ललिता उपसरपंच निरा हुरतेराम सरपंच

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

पंचायत समिति
पं. स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत .....मल्ली गढ़ी..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/19 दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के क्रम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 08/01/2021 के प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंस सज्जनगढ,बांसवाडा

(लक्ष्मी देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत मल्ली गढ़ी
पं.स. सज्जनगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)
पंस सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-1
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत महुडी पंस. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 08/01/2021 को श्रीमान् /श्रीमती लक्ष्मी देवी सरपंच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत महुडी की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 1 जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

(हस्ताक्षर देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत महुडी मारना वाली
पं.स.सज्जनगढ़, जि.बांसवाड़ा(राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(Kidar Singh Chauhan)
Assistant Engineer
Dhauladhar
Kangra

2021/1/29 10:54

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
I.H.C.D. Phase Division-I
Banswara Rajasthan

अध्यक्ष / सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
3	4	5	6
श्रीमान बदाजी गरासिया		आज दिनांक 07/01/2021 को ग्राम पंचायत मरका बड़ा श्री बदा जी सरपंच साहब की अध्यक्षता मे श्रीमान जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 3086 दिनांक 26-01-20 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2020-21 निर्माण हेतु चलाये जाने वाले जन योजना अभियान (people Plan Campaing-2020) दिनांक 02 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 मे सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार संशोधित शेष ग्राम सभाओ का आयोजन किया जायेगा।	
		जिसमे ग्राम विकास के कार्यो के निम्न प्रस्ताव लिये गये	
		(1) एनिकट निर्माण कारमी	
		(2) एनिकट निर्माण मरका छोटा	
		(3) सी.सी. मय पुलिया (नाला भाग) मरका बड़ा	
		(4) पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे ग्राम पंचायत मरका बड़ा के ग्राम कारमी से निर्माण पेयजल योजना के कार्य के वन कटि के प्रत्यावर्तन लिये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया।	
		(5) एनिकट मरम्मत कार्य पाटडीया वाले वाकि पट- मरका बड़ा	
		(6) चारदीवारी निर्माण पंचायत भवन वार्ड न. 03 मरका बड़ा	
		(7) एनिकट मरम्मत कार्य अंधोडिया वाला मरका बड़ा	
		(8) एनिकट निर्मा मरम्मत कार्य दोलसिंह हरेठा के खेत के पास	
		(9) सी.सी. रोड निर्माण स्कूल से गरासिया फला मरका बड़ा	
		(10) सी.सी. निर्माण मेन रोड से आंगनवाड़ी तक मरका बड़ा वार्ड न. 03	
		(11) स्टाप डेम निर्माण उमडीवाले डायर के पास मरका बड़ा	
		(12) स्टाप डेम निर्माण जोरसीगा हडिया के खेत के पास मरका बड़ा	

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 7/1/2021 के प्रस्ताव संख्या 04 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पंस सज्जनगढ बांसवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत
पंस सज्जनगढ बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
PHED Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत .....[illegible]..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

कमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 26-01-2021 के प्रस्ताव संख्या (1) के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पं.स.सज्जनगढ,बांसवाडा

कमीला
सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible] जोडा
पं.स.सज्जनगढ [illegible] (राज.)
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत गोड़ा..... पंस. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26-01-201 को श्रीमान् /श्रीमती कमीला..... सरपंच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत गोड़ा..... की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 1 जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गोड़ा
पं.स. ... बांसवाड़ा (राज.)

कमीला
सरपंच
ग्राम पंचायत गोड़ा
पं.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)
हस्ताक्षर
सरपंच

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Sub Division-I
Banswara Rajasthan

राजश्री जोधपुर

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

समिति गोड़ा बैच सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020-21

बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6
ग्रा.पं. गोड़ा	श्रीमती कमीला देवी		आज दिनांक 26-01-2021 को ग्रा.पं. गोड़ा के वहाँ श्रीमती कमीला देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन कार्यालय पं.स. सज्जनगढ़ के पूर्व आदेश 19 पत/16-09-2020 एवं कोषिका के आदेश क्रमांक 186 प/03-09-2020 एवं नवीन आदेश क्रमांक 386/26-08-2020 की पालना में GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना का वार्षिक प्लान हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए।	कमीला सरपंच ग्राम पंचायत गोड़ा पं.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.) प्रेमलता ग्राम सहायक तोली कार्यकर्ता एएनएम सहायिका रोजना सविता गलिया [illegible]
				कमीला सविता प्रेम कमेश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 26/1/21 Bansiram 26/1/21 गोड़ा कमीला सरपंच ग्राम पंचायत गोड़ा पं.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)
			प्रस्ताव (1) पेमलास योजना परियोजना निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत गोड़ा के ग्राम गोड़ा में पेमलास योजना के कार्य के वनभूमि के हस्तांतरण किये जाने हेतु बहुमत सर्वसम्मति से लिया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	(Kuldeep Singh Chauhan) Assistant Engineer P.H.E.D. Project Division-I Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ....साशन.....पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

दिनांक :–18.01.2021

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 15.10.2020 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

शीला
सरपंच
ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंस सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(13) सीसी सड़क निर्माण - माईन्स से वाया जिन्दा के घर तक

- 14 बंधु भगत / मोगजी गरासिया बाटिया नजि कुप
- 15 ~~क्रमांक~~ / कि नजि कुपनि. क्रमांक / रूपा गरासिया बाटिया

प्रस्ताव (12) सदन मे जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ के 399 गांव व 395 ढाणियों मे पेयजल की आपूर्ति हेतु नूतन पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य मे होने वाली 16.95 46 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन किया जाए ग्राम पंचायत, से उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। अतः मे अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद देकर सभा का विसर्जन किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत सामता
प.स. सज्जनगढ़ जि. बांसवाड़ा (राज.)

Kuldeep Singh Chauhan)
Junior Engineer
P.H.E. Division-I
B. Rajasthan

ग.प.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति ग्रा. प. महुड़ी बैच 2021-26

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम
1	2	3	4
11.01.2022	सेवा केन्द्र महुड़ी	अध्यक्ष सरपंच श्री. विरसीगिरी शारासिया कुड़ा वार्डपंच 11-1-22 शान्ता - (वार्डपंच) धुलेश्वर सनु वार्डपंच प्रकाश कुड़ा (वार्डपंच) हीरा वार्ड पंच गबू वार्ड पंच	प्र. अ. COAS. बेनाभोगजी सुगना लक्ष्मी

वीरसीगिरी
सरपंच
ग्राम पंचायत महुड़ी
प.स. सज्जनगढ़, जि. बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Froject Division-I
Banswara Rajasthan

जिला ...बांसवाड़ा..... (राज.) वर्ष 20...21

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
आज दिनांक 11.01.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें अल्पसंख्यक, विरासीजनजाति परिवारों द्वारा की गई दावे एवं ग्राम सभा वार्ड पंच जनप्रतिनिधि व ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा में उपस्थिति दी गई। ग्राम सभा में श्रीमान मुख्य कार्यकारी महोदय जिला परिषद बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 5066 दिनांक 26.10.2020 द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (G.P.D.P) 2020-21 लिखित दस्तावेज चलाये जाने वाले जन योजना अभियान के अन्तर्गत 11.01.2021 ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम के अन्तर्गत निम्न कार्यों का निष्पादन किया। ग्राम सभा में सचिव महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों को वार्ड ग्राम व ग्राम पंचायत की योजना जैसे - एमजेए, इंदिरा महा नरेगा व अन्य योजनाएँ की जानकारी दी गई। ग्राम सभा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा ग्राम में उपस्थित महोदय बाल संरक्षण योजना की जानकारी दी गई। ग्राम सभा में बाल संरक्षण योजना की जानकारी प्रयाग (आंगनवाड़ी प्रभारी) द्वारा दी गई। ग्राम सभा के सरपंच महोदय द्वारा [illegible] योजनाएँ की जानकारी व [illegible]	फतेहा (वार्ड पंच) हरीश वार्ड पंच सन्ना वार्ड पंच [illegible] [illegible] (वार्ड पंच) [illegible] गबू वार्ड पंच सुमित्रा [illegible] [illegible] मगन

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति ..... बैंच .....

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों
1	2	3	4
दिनांक 11-01-2021	सचिव ग्रामपंचायत सेवाकर भड़ुंदी	अध्यक्ष श्री किरोड़ीलाल डायरिया	
	किरोड़ीलाल सरपंच ग्राम पंचायत भड़ुंदी पं.स. सपोटरा, जि. करौली (राज.)		

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 20..24.

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिए गये।	सुनिता A
प्रस्ताव सं. 1. ग्राम पंचायत मडुडी के ग्राम जीराकोट (गरीडिया), हडोमाफो में पेयजल योजना परियोजना, पेयजल हेतु निर्माण कार्य वन भूमि में प्रस्तावित है। जिसके प्रस्तावित ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया वन भूमि में ग्राम पंचायत मडुडी के उक्त गावों में पेयजल परियोजना कार्य किया जा रहा है। जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। — जिसका निर्णय नियमानुसार सर्वसम्मति से लिया गया।	लक्ष्मी A Ogsen हकरा हीरा
प्रस्ताव सं. 2. ग्राम सभा में वार्ड नं. 1 में सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जाए। (1) सार्वजनिक चबूतरा निर्माण (2) सार्वजनिक गहरीकरण कुडो मणिया / हलिया के घर से 5 — " — देवजी / पिता — " — 6 — " — मोहन / मनगी के खेत पर प्रथिया निर्माण प्रभुलाल / लकरा के खेत पानी तलाई	सोनालाल मुरालाल पिताराम मनगी
सूखे पम्प सुधार कार्य सुखीया / रामुलाल के घर के पास 2. — " — दानियेल / राजहैरा — " — 3. — " — मोहन / विल्लियम — " — 4. — " — हाडु / हलिया 5. — " — प्रकाश / विरा 6. [illegible]	[illegible]

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति सज्जनगढ़
जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ़।

विषय :–जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांव एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गांव एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 11-1-2021 के प्रस्ताव संख्या 9(1) के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स.सज्जनगढ़ जि.बांसवाड़ा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत
पं.स.सज्जनगढ़ जि.बांसवाड़ा (राज.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
PHED Project Division-1
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत .....[illegible]..... पंचायत समिति सज्जनगढ
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 31-12-2020 के प्रस्ताव संख्या 142 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र की वन भूमि में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पंस सज्जनगढ,बांसवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
पंस.सज्जनगढ,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत भाकुआ पं.स. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 31-12-2020 को ~~श्रीमान्~~ /श्रीमती गणेश देवी सरपंच जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भाकुआ की ग्राम सभा का आयोजन ठीक समय 11:00 बजे किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत ग्राम सभा की कार्यवाही का पाठन एवं अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 1 जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गाव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षैत्र की वन भूमि में किये जा रहे पेयजल आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाए।

उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत भाकुआ पं.स.
सज्जनगढ जिला बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E. Division-I
Banswara Rajasthan

आज मे श्रीमान मुख्य कार्य कारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 6 दिनांक 26-10-2020 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर योजना (G.P.D.P) 2020-21 निर्माण हेतु चलाये जाने वाले जन योजना अभियान (Peoples Plan Campaign-2020 के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

वर्तमान ग्राम सभा मे मुख्य रूप से 5 वार्ड पंच एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे ग्राम सभा मे GPDP योजना 2020-21 हेतु निम्न लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिये गये।

प्रस्ताव - 1 सी-सी सड़क निर्माण शम्भूपुरा स्कूल से बड़की वाला कुआ तक

2. हैण्डपम्प स्थापना शम्भूपुरा
3. आंगनवाड़ी भवन मरम्मत कार्य शम्भूपुरा
4. रा. प्रा. वि. शम्भूपुरा हैण्ड स्थापना
5. हैण्डपम्प स्थापना पेमजी जीवा के घर के पास
6. हैण्ड पम्प स्थापना विनोद गूजर के घर के पास
7. हैण्ड पम्प स्थापना परबू मगला के घर के पास
8. हैण्डपम्प स्थापना गलीया कलजी के घर के पास
9. रिंगवाल नि. हकरा चौरवा के खेत मे
10. सी.सी सड़क नि. खेड़ा नया शमशान घाट से विनोद बिरसीगे के घर तक खरेड़ चौरा
11. सामुदायिक भवन नि. मेरवजी बावलीपाड़ा
12. सी.सी. सड़क निर्माण मेन रोड से काला मडिया के घर तक बावलीपाड़ा
13. नविन हैण्डपम्प स्थापना रघुनाथ मोतीया के टापरी के पास
14. चार दिवारी निर्माण रा. प्रा. वि. बावलीपाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

सड़क नि. आंगनवाड़ी से गोतरा
[illegible] के घर तक मय पुलीया राठमाला
[illegible]
सामुदायिक भवन नि. राठमाला मूरकिया विनोड़ागढ़े
आंगनवाड़ी मरम्मत कार्य राठमाला
शौचालय निर्माण आंगनवाड़ी राठमाला
20. हैण्ड पम्प स्थापना कानू तेरसींग के घर के पास - मूरकिया
21. हैण्ड पम्प स्थापना रमेश / रंगजी के घर के पास - मूरकिया
22. हैण्ड पम्प स्थापना कालू / तालू के घर के
23. हैण्ड पम्प स्थापना हरमी / हरिया के घर के
24. हैण्ड पम्प स्थापना रवचन्द / नाथू के घर के पास मूरकिया
25. सी.सी. सड़क नि. सीया से [illegible] लेखी के घर के पास मय पुलीया
26.
27. चारदिवारी निर्माण कार्य रा.उ.मा. नि. मूरकिया
28. सार्वजनिक कूप निर्माण कमली / भागजी के घर के पास बालेलीपाड़ा
29. सार्वजनिक शौचालय निर्माण बालेलीपाड़ा
30. सी.सी. सड़क नि. मातु पुजा के घर से आंगनवाड़ी तक उपलोसाव मूरकिया
31. सामुदायिक भवन नि. माताजी मंदिर उपलोसाव मूरकिया
32. चारदिवारी आंगनवाड़ी उपलोसाव
33. हैण्ड पम्प स्थापना आंगनवाड़ी उपलोसाव
34. सी.सी. सड़क मानसींग परवा से धानू के परवा तक उपलोसाव
35. सी.सी. सड़क परवेग पेमा के घर से दिलीप रामसींग के घर तक
36. सी.सी. सड़क नि. मेन खरोड़ से रमेश खारा के घर तक

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

हैण्डपम्प स्थापना बड़ाला फला
हैण्डपम्प स्थापना राकेश कोमचन्द के घर के पास
सार्वजनिक शौचालय उपलाखा मूरडिया
सार्वजनिक शौचालय निर्माण शम्भूपुरा
सार्वजनिक कूप नि. शम्भूपुरा
सीसी सड़क नि. मेन रोड नूरसी गमेहंगा के घर तक बेड़ाकनाया
सीसी सड़क मेन रोड से पीपली वाले नाले तक बेड़ाकनाया
सीसी सड़क नि. मेन रोड से दीनामाडिया के घर तक बेड़ाकनाया
सीसी सड़क मेन रोड से शंकरलाल के घर तक बेड़ाकनाया
हैण्डपम्प स्थापना रामशरण घाट बेड़ाकनाया
सीसी मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय बेड़ाकनाया हवलेरा के घर तक

50. हैण्डपम्प स्थापना टोलीफला बेड़ाकनाया
51. सार्वजनिक शौचालय नि. बेड़ाकनाया बारिया फला
52. सार्वजनिक शौचालय संस्कृत विद्यालय खरोड़ चतरा वार्ड नं. 2
53. सीसी सड़क मेन रोड से भानू रामसेरा के घर तक
54. मरम्मत कार्य रा. उ. प्रा. वि. संस्कृत खरोड़ च.
55. हैण्डपम्प स्थापना तोलसेरा शम्भू के घर
56. हैण्डपम्प स्थापना दिनेश गोबजी के घर
57. हैण्डपम्प स्थापना भगत फला
58. हैण्डपम्प स्थापना निलेश कला के घर के पास
59. सीसी सड़क नि. मेन रोड से रा. प्रा. वि. खरोड़ चतरा
60. सीसी सड़क नि. संस्कृत विद्यालय से मुकेश कमजी के घर तक

ग्राम पंचायत भूरामुआ पं. स. गलियाकोट जिला डूंगरपुर

ग्राम पंचायत भूरामुआ पं. स. गलियाकोट जिला डूंगरपुर

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

सीसी सड़क नि. चचाडा सामा से
कन्हू हरलेगा के घर तक, वार्ड 6
सीसी सड़क मेनरोड से केलाश दलसींग
के घर तक वार्ड 6
95 सीसी सड़क निर्माण मेनरोड से राजदेगा
के घर के पास
96 सीसी सड़क आंगनवाड़ी से किये
97 सीसी सड़क नि. मेन रोड से प्रदीप मोहनलाल
के घर तक
98 सामुदायिक भवन बरसात के घर के
पास मूरा करना वार्ड 8
99 पुलिया निर्माण मीठालाल सन्तू के घर के
पास मूरा करना
100 हैण्डपम्प स्थापना कान्हू तेरसींग के घर
के पास

101 हैण्डपम्प स्थापना गोविन्दी नारसेगा के
घर के पास
102 हैण्डपम्प स्थापना मातू धीरजी के घर
के पास मूरा करना
103 हैण्डपम्प स्थापना नारसेगा पिता के घर के
पास
104 हैण्डपम्प स्थापना नाथू हवला के घर के
पास
105 मरम्मत कार्य बड़े तालाब का गेट मूरा करना
106 हैण्डपम्प स्थापना कार्य प्रदीप मोदी के
घर के पास
107 हैण्डपम्प स्थापना कड़वा लालदेगा के घर
के पास
108 हैण्डपम्प स्थापना कानजी हडिया के
घर के पास
109 हैण्डपम्प स्थापना जोगी बदीया के घर
के पास मूरा करना
110 सार्वजनिक शौचालय मूरा करना

ग्राम पंचायत मुगकुआ पंचायत समिति बांसवाड़ा

ग्राम पंचायत मुगकुआ पंचायत समिति बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

चार दिवारी नि. रा.प्रा.वि. खरोड [illegible]
सामुदायिक भवन नि. खरोड में वार्ड 3.
सी.सी. सड़क मेन रोड से गौतम पेमचन्द
के घर तक वार्ड 3
69 सी.सी. सड़क मेन रोड से नरेश बाबू के घर तक
70 ~~सिंगी के~~ सार्वजनिक शौचालय खरोड पंचायत
वड़लीफला।
71 सी.सी. सड़क नि. डामर रोड से लाखूड़ा के घर
तक उपलीसाव वार्ड 6
72. सी.सी. सड़क नि. डामर रोड से दिनेश के घर
तक उपलीसाव वार्ड 6
73. सी.सी. सड़क मेन रोड से ईनेश के घर तक
74. चारदिवारी नि. रा.प्रा.वि. उपलीसाव
75. सी.सी. सड़क नि. लालसीगा से डामर तक
76. सी.सी. सड़क नि. बाईपास से श्मशानघाट तक

77 पुलीया निर्माण कार्य केलाश / छगन के
नाले तक उपलीसाव वार्ड 6
78 सी.सी. सड़क नि. खिता / मकना के घर से
डामर रोड तक वार्ड नं. 6
79 हैण्डपम्प स्थापना उपलीसाव मूरकुआ
80 हैण्डपम्प स्थापना मईडाफला उपलीसाव
81 हैण्डपम्प स्थापना नालिफला उपलीसाव
82 हैण्डपम्प स्थापना चीरवा के पास उपलीसाव
83 हैण्डपम्प स्थापना चरपोटा फला
84 हैण्डपम्प स्थापना दिनेश बाबू के घर के पास
85 हैण्डपम्प स्थापना कलारा फला उपलीसाव
86 हैण्डपम्प स्थापना रमेश / सीवरा के घर के
पास उपलीसाव
87 हैण्डपम्प स्थापना शैलेश / मगन के घर के
पास उपलीसाव
88. हैण्डपम्प स्थापना कलसेगा मोती के घर के
पास
89 सामुदायिक भवन गणपत हडिया के घर

(Kuldeep Singh Chauha
Assistant Enginee
P.H.E.D. Project Divisio
Banswara Rajastha

हैण्डपम्प स्थापना [illegible] / [illegible] के घर [illegible]

115 हैण्डपम्प स्थापना अंकित / [illegible] के खेत पर बेडिंग

116 आंगनवाड़ी निर्माण [illegible] चारदिवारी नि. बेडिंग

117 सार्वजनिक कुप नि. केसा [illegible] के खेत पर बेडिंग गया।

118 हैण्डपम्प स्थापना समरु मेला के घर के पास खराब है।

119 हैण्डपम्प स्थापना दिनेश / गोतम के घर के पास खराब है।

120 हैण्डपम्प स्थापना [illegible] / नरसेन के घर के पास खराब है।

121 हैण्डपम्प स्थापना निर्मोद / [illegible] के घर के पास खराब है

122 हैण्डपम्प स्थापना मंगल / शामजी के घर के पास खराब है।

123 सीसी सड़क नि. आंगनवाड़ी भवन से काला खार के घर तक।

124 सार्वजनिक शौचालय नि. कार्य आंगनवाड़ी के पास

125 सी सी सड़क मेन रोड से रोडीमला तक

126 सामुदायिक भवन निर्माण बालेलीपाड़ा

127 सीसी सड़क निर्माण मेन रोड से लालू के घर तक

128 हैण्डपम्प स्थापना सरदार मोतीया के घर के पास बालेलीपाड़ा।

129 हैण्डपम्प स्थापना बालेरेंगा खार के घर के पास बालेलीपाड़ा।

130 हैण्डपम्प स्थापना सुखलाल कलू के घर तक बालेलीपाड़ा।

131 हैण्डपम्प स्थापना रमेश हरेंगा के घर के पास बालेलीपाड़ा।

132 हैण्डपम्प स्थापना लक्ष्मण मंगार के [illegible] के पास बालेलीपाड़ा।

ग्राम पंचायत [illegible] सज्जनगढ़ [illegible]

ग्राम पंचायत [illegible] सज्जनगढ़ [illegible]

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

राजश्री जोधपुर

बैंच ..... जिला ..... (राज.) वर्ष 20.....

ध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
3	4	5	6
	139	हैण्डपम्प निर्माण भीमा / जेता के खेत के पास व कालू / पालारिया के घर पास	
	140	हैण्डपम्प निर्माण रिगेश / पिन्की के घर के पास	
	141	हैण्डपम्प निर्माण मडूली कला	
	142	जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गांव एवं 395 ढाणियों मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.5546 हेक्टेयर वन भूमी के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत क्षेत्र की वन भूमी मे किये जा रहे पेयजल खण्ड आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली वन भूमी का प्रत्यावर्तन एवं अनापत्ति के	

सरपंच
ग्राम पंचायत भुराकुआ पं.स मज्जनकोट जिला बांसवाड़ा

Kuldeep Singh Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Pojed Division-1
Banswara Rajasthan

कार्यालय ग्राम पंचायत .....बोबड़ियाड़ा..... पंचायत समिति सज्जनगढ़
जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :– एफ( )/पंचायत/2020–21/ दिनांक :–18.01.2021

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति सज्जनगढ़।

विषय :–जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ के पत्रांक 31 दिनांक 08.01.2021 के पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के कम में निवेदन है कि आप के पत्र के माध्यम से जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गांव एवं 395 ढाणियो में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 15-10-2020 के प्रस्ताव संख्या ....6..... के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र की वन भूमि मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना का कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

(विकास अधिकारी)
सज्जनगढ़
ग्राम पंचायत बोबड़ियाड़ा
पं.स. सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
पंस राज्जनगढ़,बांसवाडा

ग्राम पंचायत .....
पंस.सज्जनगढ़,बांसवाडा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत बाकड़ीपाड़ा बैंच सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2020-21

का ...ाल	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	3	4	5	6
...ाधी ...ेन्द्र ...पाल		मन्जुला (मन्जुला देवी) सरपंच ग्राम पंचायत बाकड़ीपाड़ा पं.स. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा	आज दिनांक 15-10-2020 को पंचायत समिति सज्जनगढ़ के आदेश क्रमांक: एफ.(1)/पसस/महानरेगा/2020-21/3513-17 दिनांक 14-10-2020 के अनुसार ग्रा.पं. भवन बाकड़ीपाड़ा में सरपंच साहब श्री लीलेश मीनाजी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया जिसमें महानरेगा योजना के प्रस्ताव लिये गये व जनसुविधा एवं जरूरत के अन्य योजना के कार्यों का पूर्व कराने की चर्चा किये गये व लोगों के व्यक्तिगत शौचालय के कार्य का पूर्ण कराने की बात हुई व आवास प्लस का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण कार्यों का पूर्ण कराने की चर्चा हुई। प्रस्ताव सं.-1. ग्राम उपचार मय रिंगवाल निवास ...	गुड्डी मूला सविता [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राकेश जितमल [illegible] [illegible]

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

विभाग/शाखा घर बोर्ड पर

2- चेकडैम निर्माण ग्राम / सेना के ऊपर बागीदौरा

3. मौका उपस्थित मय विभाग निर्माण / राजस्व

4- निर्माण कार्य नितोलिया / धनाखेड़ी के पास

5- सीमा को लगान के घरों से दूरी के पर

6- सर्वेक्षण में जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ के 399 गांव व 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बृहत पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य में वर्ष 2015/16 हेतु कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत बिरियाजोर ग्राम पंचायत में उक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया अतः में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ सभा का विसर्जन किया गया।

देवीलाल

मुकेश

बाबूलाल

नाथूलाल

हेमराज

गुड्डू सिंह

बन्नीबाई

Kuldeep Singh Chauhan
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(लिखा मुलिया)
सरपंच
ग्राम पंचायत बावड़ीपाड़ा
पं.स. सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा

ग्राम पंचायत बावड़ीपाड़ा
पं.स. सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा जिला बांसवाडा(राज.)

क्रमांक/राजस्व/2021/ 389

दिनांक 24/02/2021

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाडा

विषयः– जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गॉवो एवं 395 ढाणियों मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध मे।

प्रसंगः– श्रीमान का पत्र क्रमाकं/एफ4() राजस्व/2019/1858/दिनांक 24.12.2020 की पालना मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की पालना में लेख है कि जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गॉवो एवं 395 ढाणीयो मे पेयजल की आपूर्ति हेतू वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले गावों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके संबन्ध मे उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की जाकर(Forest right settlement) की कार्यवाही पुर्ण कर बैठक कार्यवाही विवरण तथा अनुशंषा के साथ श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

24.2.21
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा जिला बांसवाडा(राज.)

बैठक वनाधिकारी.....388..... दिनांकः

उपखण्ड स्तरीय बैठक

आज दिनांक 24.02.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध मे उनखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागीदौरा की बैठक कर आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुएः–

क. स.	नाम अध्यक्ष / सदस्यगण	पद	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1	मांगीलाल रेगर	उपखण्ड अधिकारी	9414234199	
2	संजय चरपोटा	विकास अधिकारी	9680444124	
3	हर्षद पाटीदार	क्षेत्रिय वन अधिकारी	8769671163	

श्रीमान जिला कलक्टर बांसवाडा के पत्र कमांक एफ–4 / राजस्व / 2019 / 1858 दिनांक 24 / 12 / 2020 की अुपालना मे बैठक कर आयोजन किया गया। पंचायत समिति कुशलगढ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणीयों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले 16.4546 हैक्टेयर में से कुछ भाग तहसील बागीदौरा के ग्राम घाटीगडा (ग्राम पंचायत नागावाडा) जो कि वनभूमि के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त उपखण्ड के कुल क्षेत्रफल 0.0411 हैक्टेयर भूमि पर कार्य करवाया जाना है।

उक्त प्रकरण में कुशलगढ एवं सज्जनगढ के प्रस्तावित लाईन एवं अन्य कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति मे रखा गया। उखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागीदौरा उक्त कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणीयों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण हेतु स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

विकास अधिकारी
बागीदौरा

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बागीदौरा

24.2.21
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

(राजस्थान सरकार)
कार्यालय पंचायत समिति, बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)
Ph. No: (02968) 280028 E-mail ID: nrega.psbagidora@yahoo.com

क्रमांक : पंसबा / पंचायत / 2020–2021 / 137 दिनांक : – 5/2/2021

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड बागीदौरा

विषय :– ग्राम पंचायत नागावाडा के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला बांसवाडा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांवो एवं 395 ढाणियों में पेय–जल की आपूर्ति हेतु वृहत पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 है का भुमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत नागावाडा की ग्राम सभा में दिनांक 30.01.2021 प्रस्ताव संख्या 3 में निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया तथा निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत नागावाडा को कोई आपत्ति नही है।

संलग्न :– ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र
व ग्राम सभा प्रति।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बागीदौरा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

EO R.JAIN

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत नागावाड़ा

पंचायत समिति बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 61 / प० / नागावाड़ा

दिनांक : 01 / 02 / 2021

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति बागीदौरा

विषय:- भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रेषित करने।

प्रसंग - श्रीमान उपखण्ड अधिकारी / आय / 2020 / 5102 दि० 8 / 12 / 20 की पालनार्थ।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन कि पेयजल हेतु बृहत पेयजल परियोजना क्रियान्वित कार्य हेतु आप कार्यालय के पत्र द्वारा ग्राम यारीगढ़ा में भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ग्रा.प. नागावाड़ा बैठक कर आयोजन कर अनापत्ति हेतु लिखित सिफारिश गया। ग्रा.प. नागावाड़ा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नागावाड़ा
पं.स. बागीदौरा, जि. बांसवाड़ा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत नागावाड़ा
पं.स. बागीदौरा (बां.)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

रा. प. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति ग्रा. पं. नागावाड़ा बैच प. स. बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.) वर्ष 2021-22

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में सदस्यों के
1	2	3	4	5	
30-1-21	ग्रा. पं. रा. भवन सेवा केन्द्र नागावाड़ा	श्री हीरालाल पटेल उपसरपंच ग्रा. पं. नागावाड़ा	श्री हीरालाल पटेल श्री गबु भाई श्रीमती कल्पनादेवी श्री रमेश भाई श्रीमती रंजी देवी श्री लक्ष्मण जी श्रीमती सुषमा श्री मुकेश भाई श्रीमती गोती देवी	आज दिनांक 30 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायत नागावाड़ा में श्रीमान सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग प्रथम बांसवाड़ा के पत्र संख्या 22 दिनांक 18-01-2021 के क्रम में एवं श्रीमान जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक / निर्माण / 63 दिनांक 28-01-2021 एवं श्रीमान विकास अधिकारी प. स. बागीदौरा के आदेशानुसार ग्राम पंचायत नागावाड़ा में श्रीमान हीरालाल पटेल उपसरपंच की अध्यक्षता में स्थानीय कुछ ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व प्रथम ग्राम बैठक कार्यसूची का विवरण पढ़कर सुनाया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव सं. 1 → बैठक में सर्व प्रथम स्थानीय कुछ रोड़ा ग्रामवासियों के अनुसार श्रीमान हीरालाल उपसरपंच द्वारा सदस्य पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जो इस प्रकार है प्रस्ताव (2) पंचायत की कोटम बैठक में लिया जाकर, के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा के 399 गांवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु बृहत पेयजल योजना पाडियों डाग लिमिटेड नाम से प्रस्तावित होने वाली पाइपलाइन के भूमि के प्रत्यावर्तन में वन भूमि में ग्राम पंचायत नागावाड़ा के राजस्व ग्राम दारोगढ़ा में पाइप लाइन का कार्य करने पर ग्राम पं. नागावाड़ा को कोई आपत्ति नहीं है इस प्रस्ताव का बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव (3) बैठक में कोटम डाग ग्राम नागावाड़ा में स्नानघर हेतु एवं जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव किया गया।	सुमेर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नागावाड़ा
प. स. बागीदौरा (बांसवाड़ा)

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा

क्रमांक / न्याय / 2020 / ~~17-18~~ 08 दिनांक:-08.01.2021

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति बागीदौरा।

विषय :--जिला बॉसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की पालना में लेख है कि जिला बॉसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । जिसके सम्बन्ध में आपके स्तर से वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

अतः उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण संलग्न सूची के अनुसार आपके क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामो में () की कार्यवाही पुर्ण करवाकर बैठक कार्यवाही विवरण तथा आपकी स्पष्ट अनुशंषा के साथ कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करे। ताकि वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाँसवाड़ा को प्रेषित किया जा सकें।

उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

प्रतिलिपीः-

1. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,परियोजना खण्ड प्रथम बॉसवाडा को भेजकर लेख है कि आप स्वंय संम्बन्धित अधिकारी से संपर्क कर वनाधिकारी के कुलक तैयार करवा विलम्ब के लिये आपकी जिम्मेदारी रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002

E-mail ID : rajban@nic.in (NIC)
baw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :– एफ 4 ( ) राजस्व / 2019 / 1458 दिनांक:– 24 दिसम्बर, 2020

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा / बागीदौरा / कुशलगढ़ / सज्जनगढ़।

विषय :– जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 399 गॉवो एवं 395 ढाणीयों मे पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल योजना परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।

प्रसंग :– Ministry of Environment, Forest and climate [MoEF&CC] Imtegrated Ragional Office] Jaipur 8B/RAJ/08//18/2020/FC/42 dated 07-12-2020 एवं धिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम बांसवाड़ा का पत्रांक 584 दिनांक 18–12–2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे लेख है कि भारत सरकार को उपरोक्त परियोजना के कार्य हेतु 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार के पत्र क्रमांक के अनुसार वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं 38 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्णित शर्त को अधिरोपित करते हुए जारी की गई है। जिसका पालना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्त संख्या 09 (The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certficate from the conserned Distrit Collector) के अनुसार प्रस्तावित की गई वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आपके स्तर से FRA, 2006 का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित (Forest Right settlement) की प्रक्रिया पूर्ण करवाये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में संलग्न सूची के अनुसार आपके उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में (Forest Right settlement) की प्रक्रिया पूर्ण करवाकर बैठक कार्यवाही विवरण आपकी स्पष्ट अनुशंषा के साथ इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें, ताकि वांछित प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवही की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम बांसवाड़ा।

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

854 - Rev-2020 Work (Rajkumar)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,
परियोजना खण्ड प्रथम बाँसवाड़ा
E-mail:-eeprojt.ban.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांकः अधि.अभि./परि./खण्ड-I/बाँस./2020-21/ 584 दिनांक :- 18.12.2020

श्रीमान् कलेक्टर महोदय,
बाँसवाड़ा।

कार्यालय जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
क्रमांक (2917)
दि 21 DEC 2020
अनुभाग

विषयः- जिला बाँसवाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गाँवों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतू वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।

प्रसंगः- Ministry of Environment,Forest and Climate change [MoEF&CC] Integrated Regional Office,Jaipur 8B /RAJ/08/18/2020/FC/42 dated 07.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार को उपरोक्त परियोजना के कार्य हेतू 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार के प्रांसगिक पत्र के अनुसार वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं 38 वृक्षों के पातन कि सैद्वान्तिक स्वीकृति वर्णित शर्त को अधिरोपित करते हुए जारी की गई है। जिसका पालना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई सैद्वातिक स्वीकृति में वर्णित शर्त संख्या 09 (The Complete Compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector) के अनुसार प्रस्तावित कि गई वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आपके स्तर से FRA,2006 का प्रमाण जारी किया जाना है।

अतः वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये गाँवों कि सूचि संलग्न कर श्रीमान् से अनुरोध है कि FRA,2006 की कार्यवाही करवा कर प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करावें ।

संलग्नः- वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित गाँवों सूचि।

सादर।

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम बाँसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :गुवाडी | पटवार मण्डल :भगतपुरा | भू.अ.नि.वृत:कुशलगढ़ | तहसील:कुशलगढ़ | जिला:बाँसवाड़ा

नामांतरकरण का प्रकार : जमीन आरक्षण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :140 28/01/2020	संवत तथा ढाल बांड की क्रम संख्या:2074-2077
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	96	25.5316	मगरी.		पहाड़ी तथा पर्वत (चरागाह हेतु) --बदस्तूर खसरा--	1	आरक्षित भूमि पहाड़ी तथा पर्वत (चरागाह हेतु) --बदस्तूर खसरा--	181/96 182/96	16.4546 9.0770	मगरी. मगरी.	

(क)पटवारी की रिपोर्ट : महोदयजी, श्रीमान जिला कलेक्टर बां0 के आदेश क्रमांक रा.4(C)राजस्व/2019/1294-295 दिनांक 31249 व तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक रा.5(C)राजस्व/2020/14/2019-20 की पालना में भूमि आरक्षित मद में मान्यता पर स्वीकृति हेतु पेश है।

(शम्भूराम सैनी)
हस्ताक्षरी
पटवारी का नाम भगतपुरा (प्रथम)
दिनांक 31-1-20

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट : आदेशानुसार नामान्तरण करना की अर्थ स्वीकृति है

हस्ताक्षर
भू.अ.निरीक्षक का नाम
दिनांक 04-02-2020

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश : स्वीकृत 4/2/2020

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम
दिनांक

P21 प्राप्ति संख्या एवं दिनांक : 1. 28/01/2020 6:59PM, 2. 29/01/2020 6:56PM

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara Rajasthan

Reference No :31928985

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Department Code : 64 | Department Name : Public Health Engineering Department | Month/Year : Jan/2021

Detailed Wam bill of : XEN PHED Project Dn. I Banswara(32152)

Bill For Works Payment : WAM Payment | OfficeID : 32152

Division Name	: XEN PHED PROJECT DIV I BSW	Reference No :	2527513	Wam Reference No :	#1/1 of 33
Date	: 25/01/2021	Division Code :	203	Bill No :	10064
TAN	: JDHE00944G	Demand No :	27	DDOCode :	32152
SF	: 14442518.00 NonPlan : 0.00	Object Head :	17	Budget Head :	4215-01-102-01-65/3F/V
		NA :	0.00	ContigencyHead :	

To,

The Treasury/Sub Treasury Officer,BANSWARA
Please Order to pay ₹ 14442518 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk | Sign of DA | Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Digitally signed by Lokesh Saini
Date: 2021.02.04 18:03:18 +05:30
Reason: LOKESH SAINI
Location:

Sign (With Se ... Digital ESign of DDO

7300298601

Sr.No.	Name / Address / Mobile	Bank Name / Account No. / IFSC Code / Branch Name.	Invoice No. / Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt / Net Amt	WAMID	Budget Head / Deduction Amt
1	XEN PHED PROJECT DIVISION FIRST BANSWARA. PHED PROJECT DIVISION FIRST BANSWARA Raj. 7300298601		1/1/1900 12:00:00 AM	14442518.00 / 14442518.00	2527513	

Gross Amount Rs. 14442518.00 | B.T.Amount: Rs. | Net Amount:Rs. 14442518.00

Amount In Words : ONE CRORE FOURTY FOUR LAKH FOURTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTEEN Only

Digitally signed by Lokesh Saini
Date: 2021.02.04 18:03:29 +05:30
Reason: LOKESH SAINI
Location:

Sign Of DDO with ... Sign/Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

TV. 89703
08/02/2021

Auditor | Supdt | Gaz.Officer

Treasury Voucher

No: | Date :

Pay ₹ : 14442518.00

(In Words) : ONE CRORE FOURTY FOUR LAKH FOURTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTEEN ONLY

B.T. Heads :

Head	Amount

Total :
(In Cash) ₹ : 14442518.00
(In Words) : ONE CRORE FOURTY FOUR LAKH FOURTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTEEN ONLY

Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer ESign

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtsey National Informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:kushalgarh and sajjangarh G

Forward Time:
Print Date & Time:04/02/2021 05:34 PM

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
XEN PHED Division-I
Banswara (Rajasthan)

Scanned with CamScanner

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Health Engineering Department, Jaipur

Bill No. & Date:

BillRef No.: 33, Dated: 25/01/2021

Reference No.:

Division Name: XEN PHED Project Dn. I Banswara, Division Code: 32152

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh District Banswara with operation and maintenance for 10 years on Single Point Responsibility Turnkey basis

Vendor Name: XEN PHED PROJECT DIVISION FIRST BANSWARA.

Sanction/Autorization/BillNo: 7530-36 Dated: 16/12/2020

Budget Head: 4215-01-102-01-55-17-V-P

Reason:

Bank Details: AccountNo.-, IFSC Code:

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 1,44,42,518 (In Words):Rupees One Crore Forty Four Lakh Forty Two Thousand Five Hundreds Eighteen Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount

Net Amount Payable in Figures: 1,44,42,518 (In Words):Rupees One Crore Forty Four Lakh Forty Two Thousand Five Hundreds Eighteen Only

Received from .....sum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)..../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम,बांसवाड़ा(राज.)

Signature of DO with seal

Signature of UC with seal

कनिष्ठ लेखाकार
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम
बांसवाड़ा(राज.)

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
P.H.E.D. Project Division-I
Banswara (Rajasthan)

Courtesy: http://wam.raj.nic.in (Printed on 1/25/2021 12:42:35 PM)

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 04-02-2021

Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, DIVISION -
Application No.	5339353225
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/08/12/2020
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Superintending Engineer, Public Health Engineering DepartmentBanswara
Amount(in Rs)	14442518/-

Amount in Words :One Crore Forty-Four Lakh Forty-Two Thousand Five Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150855339353225 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 04-02-2021

Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, DIVISION -
Application No.	5339353225
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/08/12/2020
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Superintending Engineer, Public Health Engineering Department Banswara
Amount(in Rs)	14442518/-

Amount in Words :One Crore Forty-Four Lakh Forty-Two Thousand Five Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150855339353225 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Verified for Rs. 14442518/-
Rs. One Crore fourty four lakh forty two Thousand five Hundred and eighteen only/-
Entered in MB No. 101 Page no. 87

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
PHED Project Division-I

Assistant Engineer
PHED ProjectDn.-I
Banswara

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Passed for Payments Rs. 14442518/- Amount in word- One crore forty-four Lakh forty-Two Thousand five Hundred and Eighteen Rupees only/-
Budget Head : 4215-01-102-01-55-17-VP

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

5/2021

राजस्थान सरकार GOVERNMENT OF RAJASTHAN
कोषाधिकारी, बाँसवाड़ा TREASURY OFFICER, BANSWARA

चेक जारी होने के दिनांक से 30 दिन तक वैध।
VALID FOR 30 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE.

DATE.....

PAY TO ..... को या आदेशानुसार OR ORDER

रुपये RUPEES XEN PHED PROJECT DIVISION-I BANSWARA

05/02/2021

रु.Rs.

One Crore Forty Four Lakh Forty Two Thousand Five Hundred and Eighteen Rupees ..... अदा करें।

Token No: Kalpesh.Vaishnav/35286 BH: 4215 DDO 32152
Bill No. & Dt 10064:25/01/2021 No 296964

14,442,518.00

रुपये से कम
UNDER RS. 14442519/-

कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
कोषाधिकारी
बाँसवाड़ा (राज.)

SBI, BANSWARA
RJ/15

⑆ 296.96 54⑈

(Kuldeep Singh Chauhan)
Assistant Engineer
PHED Project Division-I
Banswara Rajasthan

Scanned with CamScanner

कठिन परीक्षा : जलदाय और डिस्कॉम में पानी-बिजली का मीटर लगाने के अलग नियम

बाजार से पानी का मीटर खरीद एईएन दफ्तर में जमा कराओ, दो दिन बाद वापस ले पाइपलाइन से जुड़वाओ

रमेश राज शर्मा | जयपुर

प्रदेश में नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को सरकारी प्रक्रिया की 'कठिन परीक्षा' से गुजरना पड़ रहा है। जलदाय विभाग पेयजल कनेक्शन की पूरा शुल्क भी लेता है, लेकिन बाजार से मीटर खरीदने, टेस्टिंग रिपोर्ट, विभाग में जमा करवाने, दो दिन बाद वापस लेने और पाइपलाइन पर लगवाने की प्रक्रिया खुद उपभोक्ता को करनी पड़ती है। इसके बाद ही नल से पानी आने की प्रक्रिया पूरी होती है। इससे विभाग में कनेक्शन के लिए डेढ़ दशकों पर निर्भरता है। इसके साथ ही विभाग में अवैध कनेक्शन बढ़ रहे हैं। जबकि उपभोक्ता के खराब व बंद मीटर जलदाय विभाग एनआरडब्ल्यू प्रोजेक्ट व अमृत स्कीम में बदल रहा है। राजीविके केंद्र व दूसरी एजेंसियों से वित्तीय अनुमतियां इस स्कीम में अब तक करीब 10 लाख बंद व खराब मीटर ही बदले जा सके हैं। करीब 40 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगे अब भी मीटर रीडिंग ही नहीं दे रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री की ओर से 15 हजार लीटर तक उपयोग पर जल शुल्क से माफ योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहीं बिजली कनेक्शन की पद्धति जमा करवाने के बाद लाइन खींचने व मीटर लगाने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की होती है। पानी व बिजली कनेक्शन में मीटर लगाने के अलग अलग नियम होने से उपभोक्ताओं में कंफ्यूजन रहता है।

उपभोक्ता खरीदकर लाता है पानी का मीटर, फिर भी सर्विस चार्ज

पानी का मीटर उपभोक्ता खरीद कर लाता है। इसके बावजूद विभाग हर महीने प्रदेश के 80 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं से मीटर सर्विस चार्ज के नाम पर 22 रुपए महीना वसूलता है। खराब व बंद पड़े मीटरों से भी सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। जबकि विभाग को मीटर लैब बंद पड़ी है। टेक्निकल अफसरों ही नहीं है।

बिजली मीटर डिस्कॉम लगाता है

प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने पर मीटर व सर्विस लाइन लगाने की जिम्मेदारी डिस्कॉम (बिजली वितरण निगम) की है। डिस्कॉम की गलती के कारण खराब हुए मीटर को प्रभे में बदलना आता है, जबकि उपभोक्ता की गलती होने या ओवरलोड होने से जले मीटर का खर्च लिया जाता है।

विभाग में 2012 के बाद मीटर की खरीद नहीं हुई है। विभाग के पास मीटर नहीं होने से नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता के द्वारा मीटर खरीद कर विभाग में देने का प्रावधान है। अमृत योजना में नए मीटर लगाने का प्रावधान लिया था। नॉन रेवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) प्रोजेक्ट में भी विभाग ने ही मीटर लगाए हैं।

-सोएम चौहान, मीत इंजीनियर (पहली)

इंद्रगढ़ सीएचसी में अलसुबह बुजुर्ग की मौत, डॉक्टर ने कॉल रिसीव नहीं किया

इंद्रगढ़ (बूंदी) | स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार अलसुबह 5 बजे डॉक्टर नहीं मिलने से उपचार के अभाव में बुजुर्ग समयबंधन नागर की मौत हो गई। आरोप है कि परिजन-तीमारदार डॉक्टर को कॉल करते रहे, किंतु कॉल भी रिसीव नहीं किया गया। इससे आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने दोपहर को तहसील कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर तहसीलदार नरेंद्रसिंह को ज्ञापन देकर रात्रिकालीन और इमरजेंसी में फोन देने के लिए डॉक्टरों को फटकार लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बुजुर्ग रामस्वरूप नागर को समय पर उपचार मिल जाता तो संभवतः बचाया जा सकता था।

मजदूर महिला से दुष्कर्म किया

शाहपुरा (भीलवाड़ा) | बिजोलिया की मजदूर महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि वह खेत में काम लेने के लिए जा रही थी। इसी दौरान दुर्गेश ओजिया ने उसे अपने घर में खींचकर दुष्कर्म किया। करीब 15 दिन पहले भी अधिवक्ता उसे धमका कर घर से दफ, जहां दुष्कर्म का प्रयास किया।

अपात्र के विरुद्ध दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया

भास्कर न्यूज | झालावाड़

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक खंड के लिए आवेदन अभ्यर्थियों के विरुद्ध 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। इनके रोल नंबर बुधवार को वेबसाइट पर जारी किए गए। इन पदों के लिए हुई संयोगी परीक्षा का परिणाम 30 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। इसके तहत ही अपात्र पाए गए 2 अभ्यर्थियों के विरुद्ध दो अन्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। इनके रोल नंबर 300 815 और 300890 हैं।

रामपुर नाका क्षेत्र में बाय एसटी-12 और बघेरे के संघर्ष में बघेरे की मौत

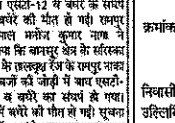

बांसवाड़ा, बाय से संघर्ष में मृत बघेरा।

बांसवाड़ा, (प्रकाश) | सरिस्का के तालकुंड रेंज के रामपुर नाका क्षेत्र में बाय एसटी-12 व बघेरे के संघर्ष में बघेरे की मौत हो गई। रामपुर वनपाल मनोज कुमार नागर ने बताया कि बांसवाड़ा क्षेत्र के सरिस्का क्षेत्र के तालकुंड रेंज के रामपुर नाका के जंगलों की जोड़ी में बाय एसटी-12 व बघेरे का संघर्ष हो गया। इसमें बघेरे की मौत हो गई। सूचना पर रेंजर संतोष कुमार बनवाल भाग सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नारायणपुरा, अजनपुरा व सरिस्का की मेडिकल टीम के डॉक्टरों की टीम बुलाकर बघेरे का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर सुभाष यादव, जनरक्षक संगीता सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

खेतों की टक्कर से एक की मौत

पुरुषार्थ(तलोदा) रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास बोलेरो चालक ने गफलत एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रहे एक वृद्ध राहगीर के टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव चौराहे में सुरक्षित रखवा दिया है। पोस्टमार्टम बुधवार होगा। मानसिंकजी राजेश भीगा ने बताया कि पुरुषार्थ ब्यावर निवासी सियाराम पुत्र मगनीराम रैगर (60) मंगलवार की रात बेट के साथ पुरुषार्थ से रजनी बेच कर पैदल रिश्तेदार की ओर जा रहा था।

हिंडौली की पूर्व प्रधान के पति और अधिवक्ता दुष्कर्म केस में गिरफ्तार

बूंदी | दुष्कर्म के एक मामले में हिंडौली की पूर्व प्रधान मनरा गुर्जर के पति व अधिवक्ता अजित गुर्जर को महिला थाना पुलिस ने बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अधिवक्ता की बार भी पुलिस ने जब्त कर ली। गुर्जर को मंगलवार रात महिला थाने में पूछताछ के लिए बूंदी मुख्यालय लाया गया था। विरोध की आशंका देखते हुए पुलिस ने बुधवार दोपहर बूंदी के मजदूर अधिवक्ता को तलेड़ा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अधिवक्ता को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर रहने दिया। कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी अधिवक्ता का मेडिकल और कोविड टेस्ट कराया गया। उधर, इस गिरफ्तारी पर जिले के अधिवक्ताओं के एक बड़े तबके में रोष है। 17 दिसंबर को हिंडौली इलाके की एक महिला ने महिला थाने में अधिवक्ता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।

धोखाधड़ी मामले में चार बदमाश गिरफ्तार

तेलसीसिंहपुर | क्रिप्टो डीलर की नोट दोगुने करने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को चक्र 42 जीबी से गिरफ्तार कर लिया। केसरीसिंहपुर पुलिस ने 9 लाख रुपए की लूट के मामले में जांच करते हुए 27 दिसंबर को परिवादी की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया था।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

(सीकर-झुंझुनूं स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर-332024)

वेबसाईट : www.shekhautaur.ac.in ई-मेल : reg.shekhauta@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक:17207 दिनांक : 30.12.2020

E-TENDER DOCUMENT 01/2020-21

FOR SALE OF USED ANSWER BOOKS, PACKING MATERIAL AND SWEEPING WASTE PAPERS ETC.

Mode of Bid Submission	Online (E-Tender)
Date & Time of the On-line submission	30.12.2020 2.00 pm
Last Date & Time of On-line Submission of Technical and Financial Bids	11.01.2021 5.00 pm
Date & Time of Opening of On-Line Technical Bid	12.01.2021 2.00 pm

विड सूचना राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाईट State Public Procurement Portal http:sppp.raj.nic.in or http://eproc.rajasthan.gov.in or our website www.shekhauta.ac.in पर देखी जा सकती है।

कुलसचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड कुशलगढ़ जिला-बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 629 दिनांक : 29.12.2020

निविदा सूचना संख्या 05/2020-21

NIB Code : PWD2021A2249

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन निर्माण/सड़क निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कुल 07 कार्यों, जिनकी अनुमानित लागत राशि रूपये 94.12 लाख है, के लिए ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा फॉर्म डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख एवं समय	दिनांक 30.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 05.01.2021 को सायं 6.00 बजे तक

UBN No. : PWD2021WSOB10878- PWD2021WSOB10884

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट www.dipronline.org" पर एवं निविदा दस्तावेज का विवरण वेबसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर ऑनलाईन सम्पादित की जावेगी।

(अनिल कुमार चरपोटा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड कुशलगढ़

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका कुशलगढ़ जिला-बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 4137 दिनांक : 28.12.2020

लोक सूचना

1. श्री टीटा पिता रूपा डामोर निवासी ग्राम बड़वास बड़ी 2. निर्मला पत्नी मणीलाल निवासी ग्राम लोहारिया बड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला-बांसवाड़ा (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का कृषि से लघु उद्योग प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिकृत अधिकारों के निर्णापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
कुशलगढ़ जिला-बांसवाड़ा	पोटलिया	1067/113 रकबा 0.06 एकड़	290.40 वर्गगज

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभृति अधिनियम 1955 की धारा 63 की अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभृति अधिकारी के निर्णापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी का आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 29.12.2020 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कुशलगढ़

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)एल/आयुक्त/ब.ऑनलाईन/2020-21/150 दिनांक : 30.12.20

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान शिक्षा राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजना में शिक्षाविभाग वेबसाईट https://dte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	प्रारंभ प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री जन्म शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2020-21	29.10.2020	31.01.2021

आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम छात्र/छात्रा, अभिभावक योजनाओं से संबंधित शिक्षा-निदेशक, शिक्षा एवं संस्थान विभाग अपने महाविद्यालयों की पहले पूरी जानकारी कर ही आवेदन करें। योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट https://dte.rajasthan.gov.inof के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है।

जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन नहीं किया है। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इनके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(वी.एस. गोधरा)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

DIPR/C/10 106/20

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

पत्र सं. ईसी/एज/08/18/2020/एफ.सी./42 दिनांक : 07.12.2020

सेवामें,

शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर
राजस्थान।

Online Proposal No. : FP/RJ/Water/39353/2019

विषय :- Diversion of 16.4546 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department, division-I, Banswara for Water supply Project for 399 village and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Saffangarh, District- Banswara, Rajasthan.

सन्दर्भ :- शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्रांक-प.1(34)वन/2020, जयपुर, दिनांक 23.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान शासन का पत्रांक-प.1(37)वन/2020, दिनांक 18.06.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विचारार्थ प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण की दिनांक 25.11.2020 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति(REC) की बैठक में (REC Agenda Item 51.8-Raj.) शामिल किया गया था, बैठक में प्रकरण पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विचारांकित परियोजना हेतु 16.4546 है.वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 36 शर्तों (13 परिशेष, 25 मूख्य) के पालन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha. Non forest land out of 16.4546 ha. non forest land (Compartment/Survey No. 181/96, Village-Guwari, Tehsil-Kushalgarh, District-Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compartment no. Nil, village-Amlipada, Range Kushalgarh, District-Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No.202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, in any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
9. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
10. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.
11. User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
13. No labour camp shall be established on the forest land.
14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same of the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.
17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation for Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-4/2017-FC dt 29/01/2018.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CaMPA fund only through e-portal.
23. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर

IRRIGATION WATER SCARCITY FORCED VICTIMS' EXODUS

Family members and villagers mourn over the death of 14 people in an accident in Surat.

First India Bureau

Banswara: Gloom descended in Ambapura and Kushalgarh areas of Banswara on Tuesday when the villagers learned about the death of 14 people in an accident in Surat. The villagers said that people have small farms here, but due to no water, all have to go to other cities to work as labourers.

The families are also left with very less grains in their houses as such they move to cities in Gujarat as it is close by.

Mukesh, 26, and his family who moved to Surat used to do daily wage work in the day and sleep at night on the pavement. Mukesh, his wife Leela, 25, sister Manisha, 18, Vanita, 12, and a baby girl were killed.

Mukesh's brother Manish said they have land in Bhagatpura village but have no water as such his brother moved to Surat along with his family.

12 dead bodies were sent from Gujarat which would reach Banswara on Tuesday night while three dead bodies will reach on Wednesday. The funeral will be conducted on Wednesday, Banswara collector Ankit Kumar Singh said. He said the compensation will be also given on Wednesday.

Besides Mukesh, three other families are completely destroyed.

Raj Bhavan Rajasthan @RajBhavanRajasthan
Deeply saddened to know about the road accident in Surat. My heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for speedy recovery of those injured.

Vasundhara Raje @VasundharaBJP
Deeply saddened by the news of the death of more than 3 dozen people in the horrific road accident in Surat. I pray to God to give patience to the family who lost their loved ones.

Dr Sharma, Rathore hand over assistance to Jalore victims' kin

First India Bureau

Dr Raghu Sharma and Dharmendra Rathore consoled the family members of Jalore bus tragedy victims in Ajmer.

Ajmer: Health minister Dr Raghu Sharma and senior Congress leader Dharmendra Rathore on Tuesday consoled the grieved family members of Jalore bus tragedy victims in Ajmer and handed over the cheques of Rs 2 lakh as compensation announced by the state government.

Six persons were killed and over 30 were injured when a bus in which they were returning to Beawar after visiting a Jain temple touched a live electricity wire and caught fire on Saturday night in Jalore's Maheshpura village. Sharma said that CM Ashok Gehlot was serious on the matter and a committee has been formed to probe the matter and action against the guilty will be taken. Congress leaders Vijay Jain, Hemant Bhati, Gopal Baheti, and others were also present with him.

9,930 in fray at 90 local bodies

First India Bureau

Jaipur: A total of 9,930 candidates are in the fray for the election in 90 local bodies after the withdrawal of nomination papers. The elections will be conducted in one municipal corporation, nine municipal councils and 80 municipalities) in 20 districts of the state. Polling in the local bodies will take place from 8 am to 5 pm on January 28, while counting of votes will be held on January 31 from 9 am.

Poonia shown black flags over agri laws

Anuj Lata

Sujangarh: BJP state president Satish Poonia, who visited Salasar Balaji temple in Churu, was shown a black flag by the farmers and Congress workers over the farm laws enacted by the Centre.

The protestors were pushed back by police before Poonia's visit to the Salasar temple. During the protest, Congress and BJP workers confronted each other. The BJP workers shouted slogans in support of PM Narendra Modi while the protestors shouted against Modi.

Later, Poonia visited the temple in the presence of BJP district president Dharmveer Pujari and others. Ratangarh MLA Abhinesh Maharshi, former minister Khemaram Meghwal, and others were present on the occasion.

'GOVT OF BJP, NOT OF POONIA OR KATARIA'

Udaipur: Amid reports of internal feuds in the state BJP, leader of opposition Gulab Chand Kataria on Tuesday said that the decision of CM candidate of BJP is taken by the party high command. "We form the government of the party and not of a leader. There will not be a government of Poonia or Kataria but a government of the BJP party in Rajasthan," Kataria told reporters in Udaipur.

Woman hammers alcoholic hubby to death

Satyanarayan Sharma

Jaipur: The police on Tuesday arrested Mamta Dey, 28, on charges of killing her husband Surajmal Bairwa by hitting on his head with a hammer in a fit of rage on Monday night.

Surajmal was a liquor addict and the couple used to quarrel over this matter quite often, the police said. On Monday night, Surajmal started quarrelling with Mamta under the influence of alcohol, and in a fit of rage, she hit on his head with a hammer, leaving him dead on the spot.

The accused had cleaned the blood spots in the room and called her family in the village, saying that Surajmal had died in a road accident. But her neighbours suspected and informed the police. When police reached the village, the preparations for the funeral were going on.

MLSU VC 'facing threat' from dean, writes to SP

Ravi Sharma

Udaipur: The dispute between Vice-Chancellor Amarika Singh and Dean of Law College Prof. Anand Paliwal at Mohanlal Sukhadia University in Udaipur intensified on Tuesday. The VC wrote a letter to Udaipur SP Rajiv Pachar saying that he faces threat from Paliwal as such a case should be filed. Singh has also written a letter to the state government seeking an investigation into the tenure of Paliwal by the SOG, said Kunjan Acharya, a university spokesperson.

After the day-long events on Tuesday, Paliwal was removed from the dean post and Prof. Seema Malick, Dean of Arts College, was given an additional charge.

However, Paliwal has clarified that in this whole case, the VC has constantly pressured him about the agitation by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. "He (VC) wants that the Parishad should not agitate," Paliwal said.

CRACKDOWN

IT raids on 2 builders, 1 jeweller

Vimal Kothari

Jaipur: The Income tax department on Tuesday conducted raids on more than 28 premises of real estate developers Gokul Kripa builder and Chordia Buildcon, and jewellery group Silver art palace amid security arrangements by the police.

The raids were conducted on the basis of information that the groups are in possession of immovable property transactions of more than Rs. 1,000 crores and the department has details of unaccounted cash loans of more than Rs. 140 crore, said an official.

More than 200 IT officers and employees conducted search operations on the premises in Civil lines, Ajmer road, Amber road, Brahmpuri, New Sanganer road, MI Road, Civil lines, Sangram colony and other locations of the city. The Silver Art Palace owned by Navratan Agrawal has business in several countries and raids were conducted at his factory and other premises.

ED ATTACHES ₹ 1.44 CR ASSETS

New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 1.44 crores belonging to the proprietor of Eurro Export, Jaipur, and other accused in the red sanders smuggling case. The attached assets consist of two offices in Jaipur and Delhi and a flat at Mohali. Cash amounting to Rs 4.2 lakhs seized by the DRI from co-accused Yodying, a resident of Thailand, is also attached. The DRI had seized 4 containers from the Mundra Port which were to be exported to Hong Kong in the guise of marble slabs wherein 14.25 metric ton of red sander woods were found concealed with around 94 metric ton of marble slabs.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

पत्र सं. 8बी/सज.08/18/2020/एफ.सी./42 दिनांक : 07.12.2020

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर
राजस्थान।

Online Proposal No. : FPR/Rj/Water/39353/2019

विषय : Division of 16.4546 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department, division division-1, Banswara for Water supply Project for 399 village and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District- Banswara, Rajasthan

सन्दर्भ : शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्रांक-प1(34)वन/2020, जयपुर, दिनांक 23.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान शासन का पत्रांक-प.1 (37)वन/2020 दिनांक 18.06.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण को दिनांक 25.11.2020 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 51.8-Raj.) शामिल किया गया था, बैठक में प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 16.4546 हे.वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 38 वृक्षों (13 पोल्स, 25 वृक्ष) के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha. Non forest land out of 16.4546 ha. non forest land (Compartment/Survey No. 181/96, Village-Guwari, Tehsil-Kushalgarh, District Banswara) and over 22.00 ha. degraded forest land (Compartment no. Nil, village-Amlipada, Range Kushalgarh, District-Banswara in place of remaining 11.00 ha. Non Forest land which is not suitable for plantation) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.4546 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No.202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, in any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
9. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate concerned District Collector.
10. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.
11. User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.
12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
13. No labour camp shall be established on the forest land.
14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same of the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.
17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation for Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-4/2017-FCdt 29/01/2018.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CaMPA fund only through e-portal.
23. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर